Ministry of Panchayati Raj
Government of India

ग्रामोदय संकल्प

श्री गिरिराज सिंह
केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
केंद्रीय राज्य मंत्री, पंचायती राज

पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

सशक्त पंचायत सतत् विकास

इस संस्करण में

- सतत विकास लक्ष्य: विश्व स्तर की सोच स्थानीय स्तर का कार्य
- संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार
- सतत विकास का स्थानीयकरण: [illegible] लक्ष्य

संस्करण - 13

भारत की राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई

सरकार हर घर में नल का पानी, शौचालय और विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में ईमानदारी से काम कर रही है : श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री पंचायती राज और ग्रामीण विकास

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस 2022 में अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाई।
उन्होंने अलग अलग श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार भी बांटे।

राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जिस प्रकार गांधीजी के सत्य और अहिंसा के विचार शाश्वत हैं उसी प्रकार साफ-सफाई के भी। स्वच्छता को लेकर बापू के संकल्प का लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था और एक नए भारत का निर्माण करना था इसलिए उनके जन्मदिन को 'स्वच्छ भारत दिवस' के रूप में मनाया जाना ही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि कही जाएगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2014 से 'स्वच्छ भारत मिशन' के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं और तकरीबन 60 करोड़ लोगों ने अपनी खुले में शौच की आदत पर लगाम कसी है। उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर कि इस मिशन के माध्यम से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य संख्या 6 को 2030 की समय सीमा से ग्यारह वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है।

कार्यक्रम में केन्द्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे तथा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 11 करोड़ से अधिक शौचालय आम जनमानस तक पहुंच चुके हैं और ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक नल जल कनेक्शन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदान किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि भारत जनवरी से स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भागीदारी आंदोलन के माध्यम से काम कर रहा है साथ ही स्वच्छता के लिए यह जन आंदोलन देश के हर एक कोने तक पहुंचना चाहिए।
श्री सिंह ने आगे कहा कि सरकार नल का पानी, शौचालय और बिजली हर घर में उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ईमानदारी से काम कर रही है।

पंचायती राज सचिव श्री सुनील कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा कि जल जीवन मिशन और ओडीएफ प्लस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आम जनमानस की भागेदारी है।
उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं के देखभाल की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है और यदि उन लोगों सेवा प्रदान की जाती है तो लोग सेवा शुल्क का भुगतान करने लिए भी तैयार खड़े हैं।
आगे उन्होंने जोड़ा कि पंचायतें आगे बढ़ कर एवं केंद्रीय प्राधिकारिकों के साथ मिल कर और कमर कस कर निवासियों को हर संभव तरीके से यह सेवा प्रदान कर रहीं हैं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विषय-सूची

मुख्य संपादक:

सुनील कुमार, आई. ए. एस.
सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

संपादक:

डॉ. बिजय कुमार बेहेरा, आई. ई. एस.
आर्थिक सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय

सहयोग :

आलोक पंड्या
अंजनी कुमार तिवारी

3
मंत्री महोदय का संदेश

4
राज्य मंत्री महोदय का संदेश

5
सचिव महोदय का संदेश

17
सतत विकास का स्थानीयकरण: क्षेत्रिक लक्ष्य

21
संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

25
पंचायत में विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से एलएसडीजी के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला

32
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

भारत की राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई 01

स्थानीय विकास को पुनर्जीवित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण : पंचायत के लिए स्थानीय संकेतक ढांचा (एलआईएफ) और उसका डैशबोर्ड 12

पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की यात्रा 23

सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 को साकार करने हेतु गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय कार्यशाला 28

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

संदेश

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 'ग्रामोदय संकल्प' पत्रिका के 13 वें अंक का प्रकाशन **'पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण'** विषय पर किया जा रहा है।

सतत विकास के लिए एजेंडा-2030 के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार एजेंडा-2030 के साथ ही राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों एवं अपने समावेशी विकास के उद्देश्य 'सबका साथ-सबका विकास' के लिए भी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।

यह देखते हुए कि भारत की लगभग 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है एवं गांधी जी के शब्दों में- भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है, जो कि ग्राम पंचायत इकाई है।

लक्ष्य वर्ष 2030 तक गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका युक्त, स्वस्थ, बाल एवं महिला हितैषी, जल पर्याप्त, स्वच्छ एवं हरित, आत्मनिर्भर अधोसंरचना युक्त, सामाजिक रूप से सुरक्षित एवं न्याय युक्त और सुशासित गांवों को बनाने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को सम्मिलित करके तैयार की गई 9 विषयगत थीमों पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण अंचल के समग्र विकास में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामोदय संकल्प के इस अंक में एसडीजी के स्थानीयकरण की दिशा में विचार, रोडमैप, कार्य योजना और उपलब्धियों को शामिल किया गया हैं।

मुझे विश्वास है कि 'पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण' पर आधारित ग्रामोदय संकल्प का यह अंक ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के साथ ही आमजन को भी इस वैश्विक एजेंडे को स्थानीय दृष्टिकोण के साथ समझने में सहयोगी साबित होगा एवं वे इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

(गिरिराज सिंह)

Office : 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: 011-23383548, 23782373, 23782327, Fax : 011-23070309
Resi.: 27, Lodhi Estate, New Delhi, Ph.: 011-24626783, 24655677

कपिल मोरेश्वर पाटील
राज्य मंत्री
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

KAPIL MORESHWAR PATIL
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 'ग्रामोदय संकल्प' पत्रिका के 13वें अंक का प्रकाशन **'पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण'** विषय पर किया जा रहा है।

सतत विकास के लिए एजेंडा-2030 के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि लगभग 68% भारत गांवों में रहता है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी, जैसे कि- पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण।

इस दिशा में, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विषयगत फ्रेमवर्क को अपनाया है, ताकि स्थानीय ग्रामीण निकाय अपने विजन को प्राप्त करते हुए गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका का निर्माण कर सकें, स्वस्थ एवं जल पर्याप्त ग्राम का निर्माण कर सकें, सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ सकें, जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए काम कर सकें और ग्रामीण भारत में वर्ष 2030 तक समावेशी विकास को सुनिश्चित करें।

ग्रामोदय संकल्प के इस अंक में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की दिशा में विचार, रोडमैप, कार्य योजना और उपलब्धियों को सम्मिलित किया गया है। मुझे विश्वास है कि सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर आधारित ग्रामोदय संकल्प का यह अंक पंचायतों, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

(कपिल मोरेश्वर पाटील)

Office: Room No. 392, 'E' Wing, 3rd Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Residence: 05, Duplex North Avenue, New Delhi-110001
Phone: 011-23782143, 23782548, 23782518 E-mail Id: mospanchayatiraj@gmail.com

सुनील कुमार, आई.ए.एस.
सचिव
Sunil Kumar, IAS
Secretary

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
Government of India
Ministry of Panchayati Raj
Dr. Rajendra Prasad Road,
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के **'पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण'** (एसडीजी) विषय पर आधारित इस विशेषांक को पाठकों को समर्पित करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सभी के लिए बेहतर एवं धारणीय भविष्य प्राप्त करने का ब्लूप्रिंट है। सतत विकास के लिए एजेंडा-2030 के हिस्से के रूप में 17 एसडीजी और 169 संबंधित लक्ष्यों को 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया और हस्ताक्षरित किया गया था। भारत सरकार भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एजेंडा-2030 का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

यह देखते हुए कि भारत की लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसलिए एसडीजी के स्थानीयकरण में पंचायती राज संस्थाओं, विशेषकर ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने एसडीजी के प्रति विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है जहां सभी 17 एसडीजी को 9 विषयों में पुनर्समूहित किया गया है। इनमें से प्रत्येक विषय में एक से अधिक एसडीजी शामिल हैं, जिनकी प्राप्ति विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करती है।

सतत विकास लक्ष्यों को जमीन स्तर पर प्राप्त करने के लिए पंचायतों की क्षमता का निर्माण करने और उन्हें सभी संभव संसाधनों से लैस करने के लिए मंत्रालय द्वारा निरंतर एवं ठोस कदम उठाए गए हैं एवं नई पहल भी की जा रही है।

पुर्नोत्थानित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों का जमीनी स्तर पर यथार्थीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन के जीवंत केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए केंद्रीय लाइन मंत्रालयों, राज्यों के विभागों और अन्य हितधारकों के ठोस एवं सहयोगात्मक प्रयासों से 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा रहा है।

एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए श्रृंखलाबद्ध हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों, सीएसओ और अन्य लोगों के साथ मिलकर जमीनी हितधारकों का ध्यान आकर्षित करना शामिल है।

ग्रामोदय संकल्प के इस अंक में, सभी हितधारकों को जागरूक बनाने के लिए एलएसडीजी पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी के साथ सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर जानकारीपूर्ण और संक्षिप्त लेख शामिल किए गए हैं।

मुझे विश्वास है कि यह अंक पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और ग्रामीण जनता को एलएसडीजी के बारे में जानने और ग्राम स्तर पर एलएसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार होगा।

(सुनील कुमार)

Tel.: 011-23389008, 23074309 • Fax: 011-23389028 • E-mail: secy-mopr@nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सतत विकास लक्ष्य: वैश्विक स्तर पर विचार, स्थानीय स्तर पर कार्य

• विचार: श्री एसएम विजय आनंद [1]
• व्याख्यान लेखन : डॉ. आर. रमेश [2]

सतत विकास लक्ष्य को महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य कहा जाना चाहिए। क्योंकि ये वो लक्ष्य हैं जो लोगों ने स्वयं के लिए चुने हैं। इसमें पूरी मानवता समाहित है। इसके अंतर्गत कुल 17 लक्ष्य आते हैं जो कि पार क्षेत्रीय हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, और वे सभी ' विश्व स्तर की सोच स्थानीय स्तर का कार्य के प्रतीक हैं।

हालांकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया है पर भारत द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, अनिवार्यतः यह कार्य अत्याधुनिक रूप से ग्राम पंचायत के स्तर पर शुरू होना चाहिए। हमारे लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, मूल रूप से ये राष्ट्रीय लक्ष्य होंगे, फिर राज्य स्तर पर होंगे और फिर इनके एकीकृत कार्ययोजना को भी निर्धारित किया जाएगा। यह एक प्रक्रिया है। लेकिन जब एक ग्राम पंचायत शुरू होती है तो हमें इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इस लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए कि इस संबंध में हमारा क्या योगदान बनता है।

सतत विकास लक्ष्यों में बहुत सारी विशिष्टताएँ हैं, जो की हैं (1) उसकी सार्वभौमिकता, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय दर्शन 'अंत्योदय' जो कि गांधीवादी दृष्टिकोण है उस को ध्यान में रखते हुए सबसे गरीब और सबसे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। (2) फिर समावेशन व शांति के मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके बारे में हम आम तौर पर विकास की चर्चा करते समय बात नहीं करते हैं। इसके बाद संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है - और ग्राम पंचायत सामन्यतः वह संस्था है जिसे हम भारतीय संदर्भ में संदर्भित कर सकते हैं। (3) शासन पर ध्यान । सुशासन के रूप में गांधीजी ने कहा 'मेरे सपनों का स्वराज गरीब आदमी का स्वराज है',इसी को उन्होंने पूर्ण स्वराज कहा इसके लिए हमें स्वयं पर शासन करना सीखना होगा। वह भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं। इसलिए एसडीजी लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला है।

अब हम कहाँ से शुरू करें? हम ग्राम पंचायत स्तर से शुरू करते हैं। हमें बिना किसी लिखित निर्देश की प्रतीक्षा किये शुरुआत करनी है। शुरुआत करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास हासिल करने के लिए आठ साल बाकी बचे हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रफ्तार पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा। हम प्रारंभ कैसे करें? हमारे पास पंचायतों के संभावित कार्यों का विवरण देने वाली संविधान की अनुसूची है।

हमें सबसे पहले सभी एसडीजी को उन पर चिह्नित करना होगा तब हमें उन में समान बिंदु देखने को मिल जाएंगे। अगले स्टेप में उन्हें संबंधित राज्य अधिनियमों के तहत पंचायतों को दिए गए कार्यों पर अंकित करना है। तब यह प्रसिद्ध हो जाएगा और हर कोई इसको मानेगा। ये सारे कार्य कानूनी रूप से नियम में तो हैं, लेकिन अक्सर इन्हें संचालित नहीं किया जाता है। तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि वास्तव में पंचायतों के कार्य क्या हैं? वे वास्तव में क्या कर रहे हैं? और उन पर सतत विकास लक्ष्य को अंकित करना होगा। तब आपको समानता के क्षेत्र मिलेंगे। अब यही वह जगह है जहां हमें आगे ध्यान केंद्रित करना है।

हमारे यहां बहुत सारे अधिकार-आधारित कानून हैं। भारत अधिकार-आधारित विधानों में पहली श्रेणी में आता है। हमारे पास सूचना का अधिकार है, काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है और हाल ही में हमने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार आदि भी इस सूची में जोड़े हैं। अब हमें इन अधिकार-आधारित कानूनों पर सभी एसडीजी को अंकित करना है, उनके अमल और विशेष रूप से एसडीजी संकेतकों की प्रगति के निरीक्षण में पंचायतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए यह रेखांकन बहुत जरूरी हो जाता है।

अलग-अलग राज्यों में पंचायत बहुत सारी योजनाएँ लागू करती है। हमें एसजीडी को इन्हीं योजनाओं पर रेखांकित करना है। आगे हमने 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के तहत बहुत सारे कार्यक्रम में भागेदारी निभाई है। उन पर एसडीजी अंकित करना है। ऐसा करने के बाद आपको एक सामान्य सी चीज 'गवर्नेंस' अथवा 'ई-गवर्नेंस' पर ध्यान देना होता है। जिसमें सुशासन में सामाजिक सर्वेक्षण, जवाबदेही, पारदर्शिता आदि जैसे तत्व आते हैं। एसडीजी को उन पर भी अंकित करना है। एक बार जब आप यह रेखांकन कर लेते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एसडीजी के लिए राज्य पंचायतें क्या कर सकती हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं यह उसकी दिशा में पहला कदम होगा।

मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतें भी ऐसा रेखांकन कर सकती हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ग्राम पंचायतों की ताकत पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देना ही पसंद करूंगा।

• [1] पूर्व सचिव, भारत सरकार
• [2] एसोसिएट प्रोफेसर, सी. आर. आई., राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान , हैदराबाद

अब ग्राम पंचायतों की ताकत क्या है? उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वे जनता से जुड़े हुए होते हैं। वे जमीनी स्तर समस्याएं जानते हैं। साथ ही साथ वे उन समूहों को भी जानते हैं जिन पर सामाजिक-आर्थिक रूप से प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए, वे हमें इन लक्ष्यों की असली प्राप्ति के उपाय दे सकते हैं। जिसके लिए आपको सामूहिक स्थानीय रूप से कार्ययोजनाओं में भागीदारी की आवश्यकता है। यह ग्राम पंचायतों द्वारा सबसे अच्छे से किया जा सकता है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि 'उन तक पहुंचना जिन तक कोई ना पहुंचा हो' कुछ ऐसा है जिसे ग्राम पंचायत बहुत अच्छी तरह से कर सकती है।

लक्ष्य को प्राप्त करना सभी स्तरों पर एक जैसा नहीं होता है। वह देश में यह दुनिया में हर जगह बिल्कुल अलग है । एक जिले के भीतर कि हमें तमाम तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं। केवल ग्राम पंचायतें ही विकास के उस स्तर को जोड़ने में सक्षम होती है। फिर स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) जैसी कुछ चीजों में गरीब ग्राम पंचायतों तक पहुंचने के निश्चित फायदे हैं। और तो और ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या लगभग 30 लाख या ये कहें 3 मिलियन है, जिनमें से लगभग 12.5 लाख से 13 लाख या 14 लाख महिलाएं हो सकती हैं और वे एसडीजी के लिए फ्रंटलाइन वालंटियर या फ्रंटलाइन एक्शन वालंटियर का काम कर सकती हैं।

आमतौर पर एसडीजी और एमडीजी दोनो अलग होते हैं। एसडीजी सामाजिक पूंजी निर्माण के लिए सहज पहलुओं का आह्वान करती है जो ग्राम पंचायत स्तर पर बेहतर रूप से देखा जा सकता है। इनका विस्तार तमाम लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत आवश्यक है। सामाजिक क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को एक विशेष लाभ है कि ये भी है कि यह मांग का सर्जन कर सकती हैं और प्रगति के लिए मांग का निर्माण ही सबसे आवश्यक होता है।
ऐतिहासिक और व्यावहारिक रूप से ग्राम पंचायत विभागीय बंधनो से मुक्त होती है। ग्राम पंचायतें आमतौर पर किसी भी समस्या व समाधान को समग्र रूप में देखते हैं जो कि उच्च स्तरों पर सम्भव नहीं हो पाता। एसडीजी के अंतर क्षेत्रीय होने के कारण उसे इसी समग्रता की आवश्यकता है।

पार क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान खोजने में ग्राम पंचायतों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसमे आपको विशेष भोगोलिक क्षेत्रों, विशेष समूहों, विशेष स्थानों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। और ग्राम पंचायतों के लिए स्थानीय जरूरतें तथा स्थानीय प्राथमिकताएं अधिक मायने रखती हैं। अतः, ग्राम पंचायतें या ग्राम पंचायतों के समूह इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। ग्राम पंचायतें लोगों को आकर्षित करने, अच्छा प्रदर्शन करने वालों की पहचान करने और उन्हें मान्यता देने और इस अभ्यास को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकती हैं।

इससे पहले आप अमल शुरू करें आपको विकास की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने की जरूरत है जो लक्ष्यों में निहित हैं। यदि आप उन्हें सही तरीके से समझते हैं, तो ये कार्य आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, 'स्थानीय संदर्भ में गरीबी क्या है' हर उम्र, हर जगह के लोगों को प्रभावित करती है, हमें खोजना होगा?

कुपोषित होना क्या है? कुपोषण क्या है? और स्थानीय संदर्भ में जलवायु परिवर्तन क्या होती है? लिंग समस्या क्या होती है? और स्थानीय संदर्भ में आनुवंशिक-विविधता या पटंपरागत ज्ञान क्या है? समान गुणवत्ता वाली शिक्षा क्या है? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्या है? समावेशी विकास क्या है? 'सभ्य कार्य' का अर्थ और 'श्रम अधिकार' क्या अर्थ है? वित्तीय समावेशन क्या होता है? और शांति या अहिंसा स्थानीय विकास के लिए क्या करती है? एसडीजी ने इन सभी का वर्णन किया है। ग्राम पंचायत इन अवधारणाओं को समझने व आत्मसात करने का प्रयास कर रही है इसकी विकास के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

अब में आपका ध्यान उन लक्ष्यों की तरफ केंद्रित करना चाहता हूं जो ग्राम पंचायत लागू कर सकती हैं:

इस सूची का पहला लक्ष्य गरीबी को लेकर है इसमें मनरेगा ग्राम पंचायत का विषय है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। **दूसरा लक्ष्य** भूख के बारे में है, जो भूख को कम करने में मददगार साबित हो सकती है एवं खाद्य सुरक्षा पोषण में सुधार और टिकाऊ कृषि से संबंधित चीजों को जोड़ सकती है। यहाँ फिर मनरेगा उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। **तीसरा लक्ष्य** स्वस्थ जीवन के बारे में है, हो सकता है कि अस्पताल ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ना आती हों, लेकिन ग्राम पंचायतें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जमीनी लोगों के बीच का अंतर कम करने में कारगर साबित हो सकती है। चौथा लक्ष्य शिक्षा को लेकर है जो शिक्षा को समावेशी, गुणवत्ता पूर्ण, और सार्वभौमिक बनाने में ग्राम पंचायतें विशेष योगदान की ओर संकेत करता है।

पांचवा लक्ष्य लैंगिक समानता के बारे में है। ग्राम पंचायतें गरीबों के स्वयं सहायता समूह के साथ काम कर सकती हैं जिसकी लगभग **45%** ग्राम पंचायत सदस्य महिलाएं हैं। वें इस विषय में वे अग्रणी स्वयंसेवक बन सकती हैं।

छठा लक्ष्य पूरी तरह से ग्राम पंचायत के ही हाथ में है यानी सभी के लिए जल और साफ सफाई। ग्राम पंचायत विकास योजना का उपयोग करना, जल जीवन मिशन और 15 वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ-साथ मनरेगा फंड का उपयोग करके ग्राम पंचायतें सभी के लिए पानी और साफ सफाई सुनिश्चित की जा सकती है। एसडीजी का 'कोई भी पीछे नहीं रहेगा' का सिद्धांत यहां बहुत अच्छी तरह से लागू होता है।

सातवा लक्ष्य उर्जा को लेकर है। दरअसल ऊर्जा स्ट्रीट लाइट और रसोई गैस से बहुत ऊपर की चीज है। बायो-गैस के व्यापक उपयोग पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके प्रति सरकार का भरपूर समर्थन है। अगर देखा जाए तो गैर-पारंपरिक ऊर्जा एक ऐसा विषय है जिसे ग्राम पंचायत बहुत आसानी से संभाल सकती है।

आठवां लक्ष्य विकास के बारे में है। यहां भी ग्राम पंचायत थोड़ा बहुत योगदान दे सकती है, जैसे कि ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सृजन और सूक्ष्म उद्यम प्रोत्साहन आदि। इसके लिए हम MGNREGS और NABARD, KVIC, SIDBI आदि के अन्य कार्यक्रमों को स्थानीय कार्यों के माध्यम से ला सकते हैं। MGNREGS में युवाओं को DDU-GKY के माध्यम से हुनरमंद बनाया जा सकता है। यहां समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बहुत से कार्यों का सृजन किया जा सकता है।

दसवां लक्ष्य असमानताओं को कम करने की ओर केंद्रित होता है। भारत जैसे देश में असमानता भुखमरी से भी ज्यादा खतरनाक है। असमानता को कम करने में छोटी नीतियां कारगर साबित हो सकती हैं। और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए, उन्हें विकास प्रक्रिया में लाने के लिए ग्राम पंचायत सहयोग ही कर सकती है।

12वा लक्ष्य सतत उपभोग और उत्पादन के बारे में है। यह व्यवहार परिवर्तन है जिसे ग्राम पंचायतें लोगों के साथ निरंतर जुड़ाव और उनके साथ काम करके प्राप्त कर सकती हैं। पंचायतें हरित विकास आंदोलनों की मदद से सतत उत्पादन विधियों को भी बढ़ावा दे सकती हैं।

अंतिम लक्ष्य यानी **सत्रहवा लक्ष्य** क्रियान्वयन को मजबूत करने के बारे में है। एसडीजी के कार्यान्वयन को मूर्त रूप देने के लिए ग्राम पंचायतों को सक्षम और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हमें ग्राम पंचायत स्तर पर एक रोडमैप बनाने की जरूरत है। युवा पेशेवरों को समुदायों के साथ मिलकर काम करने और पंचायतों का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। इसमें अधिकतम सहभागिता होनी चाहिए। हमें एसडीजी के लिए एक अलग योजना प्रणाली बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर कार्य करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकती हैं।

भारत सरकार गरीबी मुक्त पंचायतों की योजना बनाना चाहती है। इसके लिए समस्त गतिविधियों को एक साथ लाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए जन योजना अभियान चलाना, श्रम बजट की योजना बनाना, एसडीजी के लिए योजना बनाना और गरीबी मुक्त पंचायतों की योजना बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ते हुए हमारी प्राथमिकता अवधारणाओं को समझने पर होनी चाहिए। एसडीजी की व्यवस्थित मैपिंग द्वारा उन्हें जमीनी स्तर पर कैसे क्रियान्वित किया जाए, यह इस लेख में रेखांकित किया गया है। एक बार जब आप समस्या को समझ जाते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमें इस उद्देश्य के लिए एनआईआरडी एंड पीआर, एसआईआरडी और पीआर, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों, और कुछ पंचायत स्तर के 'स्कूल ऑफ प्रैक्टिस' और 'वीकन लीडर्स' जैसे प्रशिक्षण संस्थानों का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता है। आइए लोक अभियान द्वारा इस योजना को सफल बनाते हैं।

****

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत और उसके ग्रामों तक: स्थानीय स्वशासन द्वारा सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण

• जयश्री रघुनंदन

"हम लोग" संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का यह प्रसिद्ध शुरुआती शब्द हैं। यह "हम लोग" ही हैं जो आज 2030 की राह पर निरंतर चल रहे हैं।"

ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट - संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर 2015 में अपनाया गया, ए/आरईएस/70/1

उसी तरह भारत के संविधान की प्रस्तावना के शानदार शब्द हैं - "हम, भारत के लोग, स्वयं को आत्मार्पित करते है ",

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), सार्वभौमिक लक्ष्य है। ये एकीकृत और अविभाज्य हैं और सतत विकास-आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के तीन आयामों को संतुलित करता है। 169 वैश्विक लक्ष्यों के साथ 17 एसडीजी की यात्रा, सितंबर 2015 में 193 देशों द्वारा प्रतिबद्ध थी, और यह 1 जनवरी 2016 को लागू की गई।

वर्ष 2015-2016 में भारत ने ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के माध्यम से विकास योजना की प्रक्रिया को शुरू किया था। रुपये की धनराशि के हस्तांतरण में भी यह एक ऐतिहासिक वर्ष था। चौदहवें वित्त आयोग (2015-2020) के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को 200,292.20 करोड़ का आवंटन हुआ था।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स

नीति आयोग ने 2018 में पहली SDG इंडिया इंडेक्स (SDGII) बेसलाइन रिपोर्ट पेश की थी। इसमें राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) के 306 संकेतकों में से 62 प्राथमिकता संकेतकों का एक सेट शामिल था, जो 13 लक्ष्यों को कवर करने वाले 39 वैश्विक लक्ष्यों से प्रवाहित होता है यह लक्ष राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर थे। भारत का कुल अंक 57 था। राज्यों (केंद्र शासित प्रदेशों सहित) के अंक की सीमा 42 से 69 थी। केरल ओर हिमाचल प्रदेश 68 पर थे। चंडीगढ़ 69 पर था। उत्तरप्रदेश (42), बिहार (48) ओर असम (49) पर था।

2019 में SDGII 2.0 में NIF के 100 संकेतकों के साथ 16 लक्ष्य, 54 राष्ट्रीय लक्ष्य शामिल थे। राज्यों की स्थिति ओर अंक व एसडीजी वार, स्थिति सामने लाई गई। मार्च 2021 में अंतिम SDGII 3.0 में 16 लक्ष्य, 70 लक्ष्य ओर 115 राष्ट्रीय संकेतक शामिल हैं जो दिखाते हैं कि भारत के कुल अंक 66 हो गये है, अंको की सीमा 52 से 75 है, केरल शीर्ष पर 75, तमिलनाडु ओर हिमाचल प्रदेश 74 पर, सबसे तेज चलने वाला मिजोरम 68 ओर उत्तराखंड 72 (दोनों +12), वहीं ओडिशा 61 (+10) पर 2018 से हैं। सबसे कम स्कोर से उत्तर प्रदेश अब 60 पर है और असम 57 पर चढ़ा है, जबकि बिहार वहीं बना हुआ है। तर्कों पर आएं तो लक्ष्यों को जोड़ने ओर संकेतकों में संशोधन डेसे सेव से संतरे की तुलना बनाता है, इस संदर्भ में ये भी देखा जाना चाहिए कि सभी राज्य सेव ओर संतरे के संकेतकों की एक ही टोकरी से काम कर रहे हैं ओर यह परस्पर स्थिति है, लक्ष्यों ओर संकेतकों के खिलाफ प्रगति को देखने के लिए राज्यों पर ज़ोर डालता है।

कार्यवाही के लिए तथा उसपर ध्यान देने के लिए एसडीजी के वास्तविक आंकड़े, लक्ष्य ओर संकेतक उपलब्ध हैं। एसडीजी 7 (सस्ती ओर स्वच्छ ऊर्जा) (+22), एसडीजी 11 (सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज) (+26), एसडीजी 12 (जिम्मेदार खपत ओर उत्पादन) (+19) में भारी उतार-चढ़ाव दिखाते हैं, जबकि एसडीजी 6 (जल ओर स्वच्छता (-5), एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) (-6), एसडीजी 9 (उद्योग, नवाचार ओर बुनियादी ढांचा) (-10) में गिरावट देखने को मिलती है। राज्यवार ओर संकेतक वार उपलब्ध विवरण द्वारा राज्यों को यह देखने की आवश्यकता है कि वे जहां हैं वहां क्यों हैं।

राज्य ओर जिला

नेशनल इंडीकेटर फ्रेमवर्क (एनआईएफ) से, राज्य संकेतक ढांचे पर भी नजर डालने की आवश्यक्ता है, जो न केवल एनआईएफ से निकलता है, बल्कि अलग-अलग राज्यों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। संकेतकों (इंडिकेटर्स) के चयन ओर उनके महत्व से वार्षिक प्रगति मॉनीटर भी उपलब्ध होगा। अधिक महत्वपूर्ण स्तर उप-राज्य का जा रहा है। अंतर-जिला असमानताएं विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं ओर राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य द्वारा केंद्रित निवेश पर ध्यान देने में अक्षम बनाती है। कई राज्यों ने अपना जिला संकेतक ढांचा (डीआईएफ) तेयार कर लिया है। डीआईएफ का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, इसका अंदाजा नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम (एडीपी) से लगाया जा सकता है, जिसमें चिन्हित 113 पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

49 संकेतकों में सुधार की सीमा 2 वर्षों में 50% तक रही है। सितंबर 2018 में ओडिशा में रायगड़ा जेसे दूरस्थ ओर कठिन जिले 112वें स्थान पर थे ओर अक्टूबर 2020 में 5वें स्थान पर आ गए; यूपी में फतेहपुर नवंबर 2018 में 105 पर मई 2019 (डेल्टा रैंकिंग) में 2 स्थान पर आ गया।

• पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु

निस्संदेह इन तथा अन्य राज्यो के जिलों में इस तरह की गति से सुधारों को मापने योग्य संकेतकों की तुलना और केंद्रित कार्रवाई के साथ करीबी निगरानी के कार्यक्रम की अहम भूमिका हो सकती है। ADP स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर निगरानी रखता है। चिन्हित किए गए ये क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों के दायरे में आते हैं।

उप - जिला (सब - डिस्ट्रिक)

SDGII SDG पर राज्यों के प्रदर्शन को आईना दिखा सकता है। डीआईएफ राज्य सरकार को देखने और उस पर कार्रवाई करने के लिए अंतर-जिला असमानताओं के विवरण का प्रमाण दे सकता है। एसडीजी प्राप्त करने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सरकार के 2 स्तरों को शामिल किया गया है। जिसमे भारत सरकार और राज्य सरकार कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वियन और निगरानी में सीधे तौर पर शामिल है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य प्रायोजित योजनाओं के कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें ज़िले वितरण जिम्मेदारी के लिए महत्वपूर्ण स्तर होते हैं। फिर भी उप-जिला स्तर पर, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में जाना आवश्यक है, जो निस्संदेह विकास के विभिन्न स्तरों और अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग जगहों पर ध्यान देने और विकेंद्रीकृत और लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता को दर्शाता है। न यह शब्द नया है, न दर्शन नया है, न ही तो यह कर्म नया है।

इसके लिए राज्य के समर्थन का एक स्पष्ट उदाहरण यह है कि विडंबना यह है कि जेजेएम के तहत 55 एलपीसीडी प्रदान करने में शीर्ष टैंक हासिल करने की दौड़ में राज्य सरकारों (और जिला प्रशासन) द्वारा अधिक ध्यान दिया जाता है, बजाय इसके कि गांवों और बस्तियों को पानी की गुणवत्ता वाले पेयजल की जरूरतों को पूरा किया जाए। जबकि इस सबसे महत्वपूर्ण मिशन के तहत यह कोई मुद्दा नहीं हैं।

आगे बढ़ते हुए, पीने के पानी और घरेलू जरूरतों से परे एक गांव की पानी की जरूरतों का समग्र दृष्टिकोण, कृषि जरूरतों के लिए जल स्तर का आकलन और जल संचयन आदि विभिन्न विभागों से उपलब्ध कई योजनाओं का उपयोग ग्राम पंचायत के लक्ष्य के आसपास नियोजित नहीं है।

लोकल सेल्फ गवर्मेंट द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का स्थानीयकरण

सभी पंचायतें और वहां के लोगों के लिए प्रासंगिक सतत विकास के स्थानीयकरण के बिना सभी के लिए वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने की कल्पना भी नही की जा सकती। अधिकारियों ने लंबे समय की निगरानी के बाद यह तय किया है कि उन सभी क्षेत्रों में क्या प्रदान करना जहां कहीं भी हमें असामनता दिखाई देती है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय रूप से प्रासंगिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय सूचक ढांचा अगला आवश्यक कदम होगा, जो ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों और सूचकों में परिलक्षित प्रदर्शन को जोड़ता व एकत्र करता है।यह SDGs के पूरे स्पेक्ट्रम पर विभिन्न पंचायतों की तस्वीर प्रदान करेगा और योजना में हस्तक्षेप के लिए ओपन एविडेंस प्रदान करेगा।

भारत सरकार की तमाम प्रमुख योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), जल जीवन मिशन (जेजेएम), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), पोषण अभियान आदि में विशेष रूप से कहा गया है कि ग्राम स्तर की योजनाओं में ग्राम सभा की भागीदारी होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए डेटा प्रशिक्षण साझा करना, जो इस प्रक्रिया में स्थानीय गवर्नेंस को शामिल करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में स्थानीय स्वशासन को शामिल करने की इच्छा रखने वाले अन्य लोगों के बीच पंचायत राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए डेटा प्रशिक्षण साझा करना शामिल है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये बिलकुल नहीं है। हमारी पंचायतें कहां तक इस प्रक्रिया में शामिल हैं इसका लेखा जोखा राज्य सरकारों और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर छोड़ दिया गया है। इसमें कोई संशय नहीं है कि एसडीजी में प्रगति ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न मंत्रालयों की कई योजनाओं के साथ-साथ राज्य विशिष्ट योजनाओं के कारण भी हुई है।

मॉनिटर किए गए योजना के प्रदर्शन डेटा फिजिकल और फाइनेंशियल हैं। इनमें से कुछ संख्या एनआईएफ में सूचकांक के साथ मेल खाती है जैसे कि जल, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़ा डेटा। हालांकि भूजल उपलब्धता जैसे मुद्दों, पोषण की स्थिति में सुधार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और सहायक सेवाएं और कमजोर लोगों के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना और किसी को पीछे नहीं छोड़ना (LNOB) के परिणामों को प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना के लिए गांव (हैमलेट) स्तर तक एसडीजी के स्थानीयकरण की आवश्यकता है।

"स्थानीयकरण इन दोनों से संबंधित है कि कैसे स्थानीय और उप-राष्ट्रीय सरकारें नीचे से ऊपर की कार्रवाई के माध्यम से एसडीजी की उपलब्धि का समर्थन कर सकती हैं_ आगे एसडीजी को स्थानीय बनाने की जिम्मेदारी सरकार की कार्यकारी शाखा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक स्तर पर भी इसका नेतृत्व किया जाता है।

एसडीजी का स्थानीयकरण - भारत के शुरुआती सबक 2019, नीति आयोग

सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण को अमल में लाने के लिए सरकार का तीसरा स्तर, स्थानीय स्वशासन सबसे खास है। इसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा समान भागीदार के रूप में वरीयता देने की आवश्यकता है।

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 5 पी - लोग, भागीदारी, समृद्धि, ग्रह और शांति (People, Partnership, Prosperity, Planet and Peace) को उप-जिला स्तर से लेकर प्रत्येक गांव के ब्लॉक तक ले जाया गया। पंचायत स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर के साथ सबसे अच्छी तरह कार्य करती है।

73वें संविधान संशोधन ने संविधान में भाग IX पेश किया जो कि यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का अनुच्छेद 243जी कि पंचायती राज संस्थाएं सभी तीन स्तरों पर स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य कर सकती हैं।

पीआरआई की जिम्मेदारी के रूप में सूचीबद्ध (स्थानांतरित) 29 विषय एसडीजी से सीधे जुड़े हुए हैं जैसे पेयजल, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जल और जल प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन, महिला और बाल कल्याण, सामाजिक और कृषि वानिकी आदि।

भारत के लिए एसडीजी हासिल करने का तरीका किसी को पीछे नहीं छोड़ना, किसी गांव को पीछे नहीं छोड़ना है कि भावना के ग्राम पंचायत में जाना है और उन्हें पूरी तरह से शामिल करना है और इसे भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों का एक जीवंत मिशन बनाना है। यह उनका जीवन है, और उन सबको इसमें सक्रिय भागीदार और निर्णय लेने वाली भूमिका अपनानी चाहिए।

कोरोना महामारी ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर दुनिया भर में एसडीजी की प्रगति को पीछे धकेल दिया। बेहतर निर्माण की प्रक्रिया में हमें पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार के स्तर से स्थानीय स्वशासन की ओर बढ़ते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीजी को सचेत और व्यवस्थित रूप से स्थानीय बनाने की आवश्यकता है; 2.56 लाख ग्राम पंचायतों, 6,626 ब्लॉक पंचायतों, 621 जिला पंचायतों में 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों (14 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधियों) वाली पंचायत राज संस्थाएं एक बड़ी ताकत हैं जो भारत के सभी गांवों में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। भारत के लिए एसडीजी प्राप्त करने के लिए पंचायत राज संस्थानों, स्थानीय स्वशासन के लिए समान भागीदारी के साथ भारत से अपने गांवों में जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीजी के स्थानीयकरण की आवश्यकता है।

"हम सतत विकास को बढ़ावा देने में सरकार और विधायी निकायों के सभी स्तरों की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हैं।"
- संयुक्त राष्ट्र संकल्प जुलाई 2012, 'द फ्यूचर वी वांट' से उद्धरण, संयुक्त राष्ट्र महासभा सितंबर 2015 में समर्थित।

(Data Source: SDGII Reports, NITI Aayog)

****

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्थानीय विकास को पुनर्जीवित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण: पंचायत के लिए स्थानीय संकेतक ढांचा (एलआईएफ) और उसका डैशबोर्ड

* सुकन्या केयू

विकास के स्थानीयकरण का मतलब 2030 एजेंडा की उपलब्धि में क्षेत्रीय/स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखना, लक्ष्यों और लक्ष्यों के निर्धारण से लेकर कार्यान्वयन के साधनों का निर्धारण करना और इसकी प्रगति को नापने और ध्यान देने के लिए सूचकांकों का उपयोग करना।

इसका मुख्य उद्देश्य SDGs को प्राप्त करने की चुनौतियों का समाधान करना और SDGs, राज्य नीतियों, राज्य विकास योजनाओं और स्थानीय सरकारी विकास योजनाओं के बीच एक अधिक सुसंगत अनुसरण सुनिश्चित करना है (केरल राज्य ने वार्षिक या पर ध्यान देने के साथ पंचवर्षीय विकास योजनाएं और बजट की एक मजबूत स्थानीय विकास प्रणाली विकसित की है)। यह स्थानीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों, राष्ट्रीय सरकारों, व्यवसायों, समुदाय-आधारित संगठनों और अन्य स्थानीय अभिनेताओं का अनुसरण प्वाइंट है।

एसडीजी का Localization स्थानीय नेताओं और समुदायों को सहयोगी रूप से इनक्यूबेट करने और समाधान साझा करने, बाधाओं को दूर करने और रणनीतियों को लागू करने में सहायता करता है जो स्थानीय स्तर पर एसडीजी को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। इस पृष्ठभूमि में, स्थानीय विकास को पुनर्जीवित करने के लिए, एक व्यापक दृष्टिकोण/रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है जो स्थानीय सरकार (पंचायत) स्तर पर विकास की प्रक्रिया को बदलने की शुरुआत के रूप में एसडीजी की परिकल्पना करती है।

लक्ष्य निर्धारण, निगरानी और कार्यान्वयन में मौजूदा अनुभव के आधार पर एसडीजी के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए मजबूत अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा तंत्र के लिए सूचकांकों और सांख्यिकीय आंकड़ों के एक ठोस ढांचे की आवश्यकता है। विषयों, लक्ष्यों और संकेतकों के माध्यम से स्थानीय सरकारी स्तर पर लक्ष्य एस्पिरेसनल प्रकृति के होते हैं एवम् प्रासंगिक भी होते हैं और वैश्विक लक्ष्यों को रखते हैं जो यूनिवर्सल ढंग से लागू होते हैं। ये राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के साथ-साथ स्थानीय वास्तविकताओं को संक्षिप्त और आसान तरीके से ध्यान में रखते हैं। तदनुसार इस पहल का उद्देश्य एसडीजी लोकल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एलआईएफ) और वेब पोर्टल आधारित एसडीजी डैशबोर्ड विकसित करना है, जो स्थानीय स्तर पर एसडीजी के प्रशिक्षण, योजना और निगरानी के लिए स्थानीय सरकार और समुदायों की मदद करता है।

हमें सबसे पहले सभी एसडीजी को उन पर चिह्नित करना होगा तब हमें उन में समान बिंदु देखने को मिल जाएंगे। अगले स्टेप में उन्हें संबंधित राज्य अधिनियमों के तहत पंचायतों को दिए गए कार्यों पर अंकित करना है। तब यह प्रसिद्ध हो जाएगा और हर कोई इसको मानेगा। ये सारे कार्य कानूनी रूप से नियम में तो हैं, लेकिन अक्सर इन्हें संचालित नहीं किया जाता है। तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि वास्तव में पंचायतों के कार्य क्या हैं? वे वास्तव में क्या कर रहे हैं? और उन पर सतत विकास लक्ष्य को अंकित करना होगा। तब आपको समानता के क्षेत्र मिलेंगे। अब यही वह जगह है जहां हमें आगे ध्यान केंद्रित करना है।

हमारे यहां बहुत सारे अधिकार-आधारित कानून हैं। भारत अधिकार-आधारित विधानों में पहली श्रेणी में आता है। हमारे पास सूचना का अधिकार है, काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है और हाल ही में हमने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार आदि भी इस सूची में जोड़े हैं। अब हमें इन अधिकार-आधारित कानूनों पर सभी एसडीजी को अंकित करना है, उनके अमल और विशेष रूप से एसडीजी संकेतकों की प्रगति के निरीक्षण में पंचायतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए यह रेखांकन बहुत जरूरी हो जाता है।

यह स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों और उनके संघों और अन्य स्थानीय अभिनेताओं, राष्ट्रीय सरकारों, व्यवसायों, समुदाय-आधारित संगठनों के बीच एक अभिसरण बिंदु है। एसडीजी का स्थानीयकरण स्थानीय नेताओं को सहयोगी रूप से इनक्यूबेट करने और समाधान साझा करने, बाधाओं को दूर करने और रणनीतियों को लागू करने में मदद करता है जो स्थानीय स्तर पर एसडीजी को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। स्थानीय सरकारें नीति निर्माता परिवर्तन की उत्प्रेरक हैं और सरकार का स्तर वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय समुदायों के साथ जोड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। स्थानीयकरण विकास तब सभी स्थानीय हितधारकों को सशक्त बनाने की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सतत विकास को अधिक उत्तरदायी बनाना है और इसलिए स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए प्रासंगिक है।

* शोध सहयोगी, केरल इंस्टीट्यूट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (किला)

विकास लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब स्थानीय कार्यकर्ता न केवल कार्यान्वयन में बल्कि एजेंडा-सेटिंग और निगरानी में भी पूरी तरह से भाग लेते हैं। भागीदारी के लिए जरूरी है कि सार्वजनिक नीतियां ऊपर से थोपी न जाएं बल्कि पूरी नीति श्रृंखला साझा की जाए। स्थानीय राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शी और भागीदारी तंत्र के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी प्रासंगिक अभिनेताओं को शामिल किया जाना चाहिए।

इस पृष्ठभूमि में, स्थानीय विकास को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण/रणनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है जो पंचायत स्तर पर विकास की प्रक्रिया को बदलने की शुरुआत के रूप में एसडीजी की परिकल्पना करेगी।

यह निम्न तरीके से परिचालित हो सकता है:

अ - लोकल इंडिकेटर फ्रेम वर्क (एलआईएफ)

संकेतक रूपरेखा परिचय:

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत अनुवर्ती और समीक्षा तंत्र की प्रगति की निगरानी करने, नीति को सूचित करने और सभी हितधारकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संकेतकों और सांख्यिकीय आंकड़ों के एक ठोस ढांचे की आवश्यकता है। संकेतक स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एसडीजी की प्रगति की निगरानी की रीढ़ होंगे। एक ठोस संकेतक ढांचा एसडीजी और उनके लक्ष्यों को एक प्रबंधन उपकरण में बदल देगा, जिससे न केवल देशों और वैश्विक समुदाय बल्कि उप-राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर भी कार्यान्वयन रणनीतियों को विकसित करने और तदनुसार संसाधन आवंटित करने में मदद मिलेगी।

मिलेगी। वे सतत विकास की दिशा में उनकी प्रगति को मापने और एसडीजी हासिल करने के लिए सभी हितधारकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में भी काम करेंगे।
हम यह भी रेखांकित करते हैं कि विभिन्न राष्ट्रीय वास्तविकताओं, क्षमताओं और विकास के स्तरों को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को क्रिया-उन्मुख, संक्षिप्त और संवाद करने में आसान, आकांक्षात्मक, वैश्विक प्रकृति का और सभी देशों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होना चाहिए। . हम यह भी मानते हैं कि लक्ष्यों को सतत विकास की उपलब्धि के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
एसडीजी के उद्देश्यों को प्राप्त करना लक्ष्य निर्धारण निगरानी और कार्यान्वयन में मौजूदा अनुभव को आधार पर बनाया जा सकता है।

थीम लक्ष्यों और सूचकांकों के माध्यम से एलएसजी स्तर पर लिए गए लक्ष्य महत्वाकांक्षी प्रकृति के हैं, प्रासंगिक हैं और वैश्विक लक्ष्यों को रखते हैं

जो यूनिवर्सल रूप से राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के साथ-साथ स्थानीय वास्तविकताओं को संक्षिप्त और संवाद करने में आसान तरीके से ध्यान में रखते हैं।
एसडीजी के स्थानीयकरण में एलएसजी सुनिश्चित होने तक वैश्विक संकेतकों और राष्ट्रीय संकेतकों को जमीनी स्तर तक जोड़ने वाली पुनरावृत्ति प्रक्रिया है। SDG के अधिकांश लक्ष्य और संकेतक स्थानीय स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं। अधिकांश एसडीजी एलएसजी को सौंपे गए विषयों से संबंधित हैं।

विकसित स्थानीय संकेतक ढांचे में सभी एसडीजी को ध्यान में रखा गया है। हालाँकि यह उन एसडीजी पर ध्यान केंद्रित करता है जिनकी स्थानीय स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है। इस प्रकार पहल के प्रमुख फोकस में एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 शामिल हैं। विकसित उपकरण इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकेतकों और लक्ष्यों के स्थानीय अनुकूलन के लिए स्थान प्रदान करते हैं। इसका आधार यह तथ्य है कि देश ने स्थानीय सरकारों की एक प्रणाली बनाई है और केरल राज्य ने उन्हें कार्यों, पदाधिकारियों और निधियों के हस्तांतरण के साथ सशक्त बनाया है।

राज्य सहभागी स्थानीय योजना और बजट के साथ आगे बढ़ा, जो ऊपर उल्लेखित एसडीजी पर लागू विभिन्न विषयगत क्षेत्रों को छूता है। पहल के हिस्से के रूप में विकसित स्थानीय संकेतक ढांचा स्थानीय विकास वास्तविकताओं के अनुरूप वैश्विक और राष्ट्रीय संकेतकों को प्रासंगिक बनाने के लिए स्थानीय सरकारों को लक्ष्य, संकेतक और लक्ष्य निर्धारित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। इस प्रकार एसडीजी के साथ संरेखण में योजना और बजट परिणाम उन्मुख हो जाते हैं। वेब-पोर्टल आधारित डैशबोर्ड एक संवादात्मक उपकरण है जो योजना और निगरानी में मदद करता है। यह समुदायों को स्थानीय एसडीजी स्थिति से अवगत होने में भी मदद करता है जो विकास प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है।

यह समुदायों को स्थानीय एसडीजी स्थिति से अवगत होने में भी मदद करता है जो विकास प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। लाइन विभागों के अधिकारी स्थानीय सरकारों के निर्वाचित पदाधिकारी और नागरिक प्रमुख हितधारक हैं। पहल एक योजना और निगरानी ढांचा प्रदान करती है जिसमें प्रतिभागियों को राज्य स्तर के आंकड़ों से गुजरना पड़ता है, उनकी तुलना जिला स्तर के आंकड़ों से की जाती है और विकास अंतरालों की पहचान करने के लिए यदि कोई हो तो पहचाने गए विकास अंतरालों के आधार पर स्थानीय स्तर पर रणनीति तैयार की जा सकती है। यह प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं को मैप करने और अभिसरण संभावनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है। वेब आधारित डैशबोर्ड में पेश किया गया निगरानी ढांचा प्रतिभागियों को विभिन्न कोणों से एसडीजी प्राप्त करने में प्रगति की योजना बनाने और निगरानी करने में मदद करता है।

KILA इन हितधारकों को SDG के स्थानीयकरण और विकसित उपकरणों का उपयोग करने की योजना बनाने में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ये प्रशिक्षण प्रत्येक हितधारक समूह के लिए और व्यापक तरीके से बैचों में किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह विषय स्थानीय भागीदारी विकास योजना के लिए स्थानीय सरकार के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण में शामिल है। इस वर्ष से केरल सरकार द्वारा स्थानीय सरकारों द्वारा स्थानीय नियोजन के लिए जारी दिशा-निर्देशों में एसडीजी आधारित योजना को शामिल किया गया है जिसे हम अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं।

एसडीजी के स्थानीयकरण में, संकेतकों और लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति एलआईएफ करता है। निर्णय लेने वालों को लक्ष्यों की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए सूचना और डेटा की आवश्यकता होती है। सटीक जानकारी और संसाधनों तक पहुंच संसाधनों की योजना और आवंटन में सुधार करने में मदद करती है। इन कार्यों को परिणामोन्मुखी होना चाहिए और एलआईएफ यह अवसर प्रदान करता है। डेटा डैशबोर्ड विभिन्न डेटासेट से प्रासंगिक अंतर्दृष्टि की योजना बनाने, मापने, विश्लेषण करने और निकालने की निगरानी के इंटरैक्टिव साधन प्रदान करता है। ऑनलाइन डेटा विज़ुअलाइज़ेशन ऐतिहासिक पैटर्न, सहसंबंधों और रुझानों के लिए उपयोगी है जो एक ऑनलाइन वातावरण में कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने में मदद करते हैं।

2. पंचायत के लिए एक डैशबोर्ड

सरकारों और अन्य हितधारकों के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति को मापने और उसके कार्य एवम् डेटा दोनों के बीच अंतराल को उजागर करने के लिए एक उपकरण के रूप में डैशबोर्ड कार्य करता है। इंटरएक्टिव डैशबोर्ड देशों को एक्शन के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए विज़ुअल रिप्रेजेंटेशन पेश करते हैं।

पंचायत स्तर पर, डेटा क्रांति कम्युनिटी को उन लक्ष्यों और सूचकों की पहचान करने और डिजाइन करने में सक्षम बनाती है जो महत्त्वपूर्ण होते हैं। यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिससे गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी को विकास में सबको हिस्सेदारी मिलेगी। पंचायत के डेटा की जांच करने के साथ-साथ नागरिक डेटा उत्पन्न करने की क्षमता सभी के पास होती है जिसका उपयोग रियल्टी के आधार पर मुद्दों में सुधार के लिए किया जा सकता है।

केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (किला) एक स्वायत्त संगठन है जो केरल सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग के तहत काम करता है। यह मुख्य रूप से कर्मचारियों और स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों में कार्यरत है।

इसके साथ ही KILA एक्शन-रिसर्च, प्रकाशन, सेमिनार और वर्कशॉप, कंसल्टेंसी, डॉक्यूमेंटेशन, हैंडहोल्डिंग और इनफॉर्मेशन सर्विसेज ने भी सक्रिय है। इसी संदर्भ में, किला ने स्थानीय स्वशासन (एलएसजी), एसडीजी के लिए प्रशिक्षण टूलकिट निर्मित किया है। प्रशिक्षण टूल किट में स्थानीय स्तर से राज्य स्तर तक सुगमता में प्राप्त किया जा सकने वाला डाटा बेस है। यह गुणवत्ता की विश्वसनीयता, उपलब्धता और डेटा की तुलनात्मकता में सुधार के प्रयासों का समर्थन करता है जिससे सभी हितधारकों को अपने संबंधित क्षेत्र में आने डेटा निर्माण में मदद मिलती है। यह अंततः स्थानीय सेल्फ गवर्मेंट्स को प्रत्येक i। इंडिकेटर के संबंध में उनकी स्थिति का विश्लेषण और संशोधन की समीक्षा करने में मदद करता है और एसडीजी प्राप्त करने की चुनौतियों का समाधान करने और sdg प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए समाज की बेहतरी और परिवर्तन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में गेप्स की पहचान करने तथा इन गेप के अनुसार योजना बनाने में मदद करता है तथा राज्य की पंच वर्षीय योजनाओं एवं सेल्फ गवर्मेंट की विकास योजनाओं के मध्य सेतु का कार्य करता है।

SDGs के लिए डेटा क्रांति : संकेतकों(इंडिकेटर्स) की भूमिका:

संकेतक अथवा इंडिकेटर्स स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एसडीजी की प्रगति की निगरानी में प्रमुख भूमिका निभाते है। एक मजबूत इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क एसडीजी और उनके लक्ष्यों को एक ऐसे मैनेजमेंट टूल्स में बदल देता है जिससे देशों और वैश्विक समुदाय को कार्यान्वयन रणनीति विकसित करने और तदनुसार रिसोर्सेज आवंटित करने में मदद मिलती है। इंडिसेटर्स सतत विकास की दिशा में प्रगति को मापने और SDGs हासिल करने में सभी हितधारकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में भी काम करते है। एसडीजी के लिए संकेतक ढांचे (इंडिकेटर फ्रेमवर्क) की निगरानी के लिए एलएसजी स्तर के डैशबोर्ड के विकास के साथ इसे शुरू किया जा सकता है।

पंचायत के लिए डैशबोर्ड

SDGs के स्थानीयकरण हेतु निगरानी तंत्र के रूप में निर्णय निर्माताओं, नीति निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सटीक और समय पर जानकारी और डेटा की आवश्यकता होती है। समय पर सटीक जानकारी और संसाधनों तक पहुंच, योजना बनाने और संसाधनों के आवंटन सहित मौजूदा मुद्दों पर उचित प्रतिक्रिया करने में मदद करती है और भविष्य में कार्यों की योजना बनाने में भी सक्षम बनाती है:

• इस डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य, जिला और स्थानीय पदाधिकारी लक्ष्यों का निर्माण कर सकते हैं, एसडीजी की प्राप्ति हेतु प्रोग्रेस को ट्रैक तथा उसपर निगरानी कर सकते हैं।

• जनता भविष्य में भी इसका उपयोग कर सकती है

• स्व-मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और निम्न की बेहतर समझ उत्पन्न करने में योगदान प्रदान करता है।

:स्थानीय से राज्य स्तर तक डेटा का संग्रह, विश्लेषण और साझेदारी

:पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, उद्योग और ऊर्जा आदि सहित विभिन्न विषयों पर स्थानीय स्तर पर डेटा के नए स्रोतों की पहचान करने में मदद

:स्थानीय और राज्य स्तर पर एसडीजी की दिशा में प्रगति की निगरानी

:डेटा डैशबोर्ड एक ऐसा टूल है जो एक इंटरैक्टिव, सहज और विजुअल ढंग से जानकारी प्रदर्शित करते हुए प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न डेटासेट से प्रासंगिक अंतर्दृष्टि की निगरानी, माप, विश्लेषण और डेटा प्राप्त करने का एक इंटरैक्टिव सोर्स प्रदान करता है।

; ऑनलाइन डेटा विजुअलाइज़ेशन एक ऐसा टर्म है जो डेटासेट निकालने की प्रक्रिया का वर्णन करता है और ऐतिहासिक पैटर्न, सहसंबंधों और रुझानों को उजागर करते हुए उन्हें एक ग्राफिक विजुअल ढंग से प्रस्तुत करता है जो उपयोगकर्ताओं को एक्शन लेने में हेल्प करता है।

Dashboard- Front End

•लक्ष्यों द्वारा विभिन्न एसडीजी संकेतकों के लिए त्वरित खोज

•क्लाउड-आधारित ओपन-सोर्स एसडीजी रिपोर्टिंग और निगरानी समाधान।

• लक्ष्य।

• इंडिकेटर

• टारगेट वाइस प्रदर्शन का विश्लेषण

• एसडीजी सूचक प्रदर्शन को थीम्स के रूप में दिखाना

•एलएसजी और उसके प्रदर्शन द्वारा डेटा देखने के लिए लक्ष्यों लक्ष्यों और इंडिकेटर्स को विस्तृत और संक्षिप्त करना।

• लक्ष्यों और संकेतकों के साथ प्रत्येक टारगेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन

• विभिन्न चार्टों में समय अवधि के अनुसार चुनिंदा इंडिकेटर्स और इसके लेवल को देखने हेतु उपयुक्त चार्ट

• एनिमेटेड चार्ट में समय अवधि के साथ बहु-आयामी डेटा पर व्यू

•इंडिकेटर द्वारा एलएसजी की रैंकिंग/स्थिति देखे सर उन्हे कस्टमाइज को करे।

• एलएसजी के लिए एसडीजी निगरानी रिपोर्ट तैयार करें।

• चार्ट डाउनलोड करें और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करें।

• रजिस्टर करें और डैशबोर्ड पर अपना डेटा देखें।

• संपर्क

• SDG इंटरएक्टिव डेटा डैशबोर्ड को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय और पंचायत स्तरों पर या एक विशिष्ट सतत विकास के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है।

सतत विकास लक्ष्यों की योजना और निगरानी पर डैशबोर्ड - Expanded View

M&E प्लेटफॉर्म को एसडीजी और पंचायत विकास योजनाओं और ऐसे अन्य परिणाम पर निगरानी करने और रिपोर्ट करने में मदद के लिए विकसित किया गया है। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल और वेब-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो संचार और समन्वय अंतराल में सुधार करेगा। अत्याधुनिक संचार दृष्टिकोणों का उपयोग करके यह एसडीजी और राष्ट्रीय परिणामों के संचार सहित पंचायत विकास योजनाओं के रोलआउट और कार्यान्वयन की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करेगा, और उन्नत संचार चैनलों की स्थापना और पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ाकर निगरानी, कार्यान्वयन की प्रक्रियाऔर मूल्यांकन चरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। यह प्लेटफॉर्म सभी को वन-स्टॉप शॉप के रूप में जोड़े रखता है जहां लोग नवीनतम जानकारी और सामग्री पा सकते हैं। विस्तारित दृष्टि देखा जाए तो यह राष्ट्रीय और राज्य मूल्य के साथ वर्षों के संबंध में लक्ष्यवार विश्लेषण दिखाता है और हम प्रत्येक जीपी, बीपी, डीपी लेव के संबंध में वर्षवार(annual) स्थिति भी देख सकते हैं।

राष्ट्रीय संकेतकों के साथ लक्ष्य

इस पृष्ठ में हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर के व्यूज के साथ प्रत्येक गोल का प्रदर्शन स्तर देख सकते हैं।

मुख्य लाभ

:गोल टारगेट और संकेतक द्वारा अपना राष्ट्रीय एसडीजी प्रदर्शन देखें।

: डेटा अंतराल की पहचान, एलएसजी से संबंधित एसडीजी संकेतकों की तुलना और विश्लेषण

: एसडीजी डेटा उपलब्धता और अंतराल के मूल्यांकन का समर्थन, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय और पंचायत एसडीजी डेटा निगरानी डैशबोर्ड और रिपोर्ट को डिजाइन तथा विकसित करना

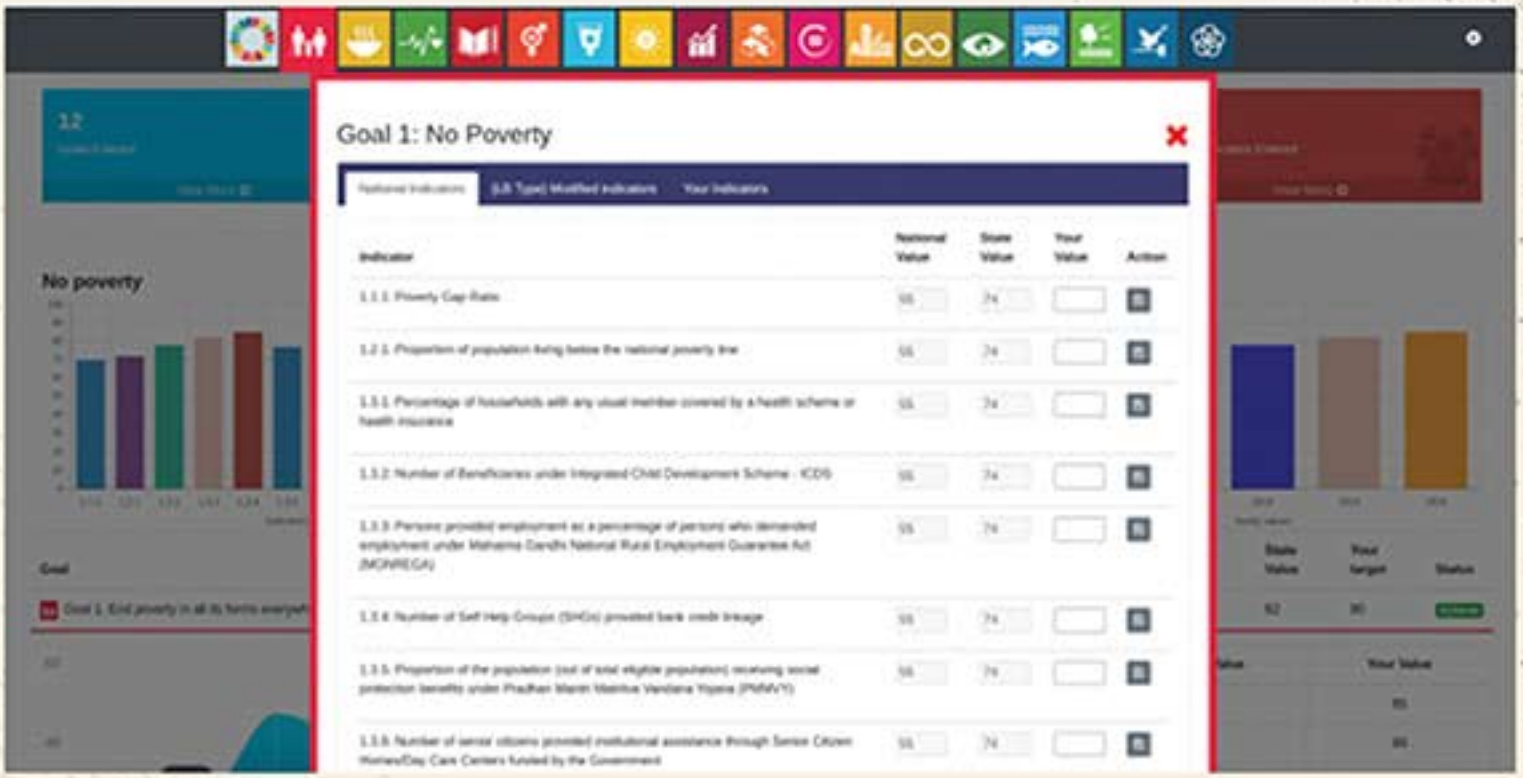

: राष्ट्रीय और राज्य औसत की तुलना में GPs की स्थिति

: GPDP के माध्यम से कार्य योजना

:प्रत्येक एलएसजी के लिए आवश्यक होने पर स्वयं द्वारा नए इंडिकेटर्स जोड़ें

: स्थानीय लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें

; एनुअल अपडेट निगरानी में मदद करेगा

:यह सब पंचायत स्तर पर स्वयं ही किया जा सकता है

: इसे ग्राम सभाओं में पेश किया जा सकता है

: एसडीजी की योजना और निगरानी पर डैशबोर्ड

••••

सतत विकास का स्थानीयकरण: शैक्षिक लक्ष्य

• जे. पी. पाण्डेय, आई.आर.पी.एस

शिक्षा मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। SDG4 में समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। SDG4 10 लक्ष्यों से बना है। ये दस लक्ष्य है - सस्ती और गुणवत्ता वाली तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल के लिए सभी महिलाओं और पुरूषों के लिए समान अवसर की पहुंच सुनिश्चित करना, लैंगिक असमानताओं को दूर करना, समानता, शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देना, वैश्विक नागरिकता और सांस्कृतिक विविधता और संस्कृति के योगदान की सराहना करना, सतत विकास के लिए योग्य शिक्षकों की आपूर्ति में वृद्धि प्रमुख शैक्षिक लक्ष्य हैं।

SDG4 के लिए भारत की प्रतिबद्धता

भारत वैश्विक एसडीजी के प्रति प्रतिबद्धत प्रमुख भागीदारों में से एक है। लगभग 26 करोड़ छात्र संख्या वाले देश भारत ने एसडीजी हासिल करने की दिशा में अपनी सभी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को संरेखित किया है। SDG4 के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रतिध्वनित हुई है। SDG की घोषणा के बाद यह पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य हमारे देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं की ओर ध्यान केंद्रित करना है। एनईपी भारत की पटंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए एसडीजी4 सहित 21वीं सदी के aspirational लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करता है।

छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने की भारत की दृष्टि का प्रमाण है। इससे प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति हेतु नामांकन दर में काफी सुधार हुआ है।

स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने 294283.04 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2026 तक लागू होने वाली NEP 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए अपनी प्रमुख समग्र शिक्षा योजनाओं को नया रूप दिया है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा में एक एकीकृत योजना है, जिसमें पूर्व-प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक एसडीजी4 के साथ गठबंधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके।

विभाग ने 54061.73 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 की पांच साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) भी लॉन्च किया है। इसमें बालवाटिका के साथ मध्याह्न भोजन के सभी कंपोनेंट्स शामिल हैं। यह योजना SDG 2 और 4 के साथ-साथ स्कूली शिक्षा में अधिक भागेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका में है। पीएम पोषण का उद्देश्य कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करना है, गरीब बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है।

एसडीजी 4 का स्थानीयकरण

स्थानीयकरण एसडीजी को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर, खास तौर से जमीनी स्तर पर दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है, जब तक लोकलाइजेशन प्रशासन और कार्यान्वियन के सभी स्तरों तक नहीं पहुंचता, तब तक SDGs को वास्तविक रूप से प्राप्त करना असंभव होगा। सभी एसडीजी के लक्ष्य सीधे तौर पर स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों की जिम्मेदारियों से संबंधित होते हैं। राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए लक्ष्यों की स्थापना से लेकर कार्यान्वियन के तरीके का निर्धारण तथा संकेतकों (इंडिकेटर्स) का उपयोग करना सर्वोपरि है। जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि जन आंदोलन और समुदाय, गैर-सरकारी संगठन,

• निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

नागरिक समाज संगठन की भागीदारी और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। Sdg 4 की अचीवमेंट हमारी क्षमता पर निर्भर होगी।

स्कूल इकोसिस्टम में 15 लाख से अधिक स्कूल, 26 करोड़ से अधिक छात्र और 96 लाख शिक्षक पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शामिल हैं। इसमें गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों अर्थात शिक्षकों, शिक्षक शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, समुदाय, स्कूल प्रबंधन समितियों, एससीईआरटी, डाइट, बाइट, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों, क्लस्टर संसाधन व्यक्तियों, स्वयंसेवकों की भागीदारी भी शामिल है। स्थानीयकरण के महत्व को समझते हुए हमारा संविधान शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करता है।

SDG4 के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों और स्तरों पर देखा जा सकता है।

केंद्र स्तर पर

समग्र शिक्षा योजना सभी स्तरों पर प्लानिंग, कार्यान्वयन और ट्रांजेक्शन कॉस्ट में मदद करती है। केंद्र लड़कियों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (CWSN) की समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रिक समानता के लिए स्मार्ट क्लासेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम, समावेशी परिवेश व शिक्षा के लिए डिजिटलीकरण आदि निर्माण की RTI अनुदान के तहत किया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने NEP 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक योजना "SARTHAQ" बनाई है।यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन सुधार हेतु महत्वपूर्ण कदम है। MoE ने 12 नवंबर 2021 को पूरे देश में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) आयोजित किया, जिसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लगभग 34 लाख बच्चों के लर्निंग आउटकम का आकलन किया गया।

एनएएस 2021 के निष्कर्षों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, जो स्पेक्ट्रम में प्रदर्शन की तुलना करने और विभिन्न स्तरों पर re-mediation के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करेगा।

प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स की अवधारणा स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रमुख कदम को दर्शाती है जिसमे शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
70 संकेतकों वाला सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने की दिशा में प्रेरित करता है। अब इन सूचकांकों को स्थानीय बनाने का कदम जिलावार पीजीआई जिलों को प्रोत्साहित करने और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश के स्तर पर

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 'समग्र शिक्षा कार्यान्वयन सोसायटी' जिलों और शीर्ष पर केंद्र के साथ तालमेल बनाकर योजना बनाती है और उसे क्रियान्वित करती है। भारत एक विविधतो से समृद्ध राष्ट्र है। विविध समूहों को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं के कंपोनेंट्स को स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप बनाना महत्वपूर्ण है। राज्य बोर्डों और राज्य के पाठ्यक्रम की अवधारणा शिक्षा के स्थानीयकरण के लाभ को दर्शाती है।
एससीईआरटी और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के विभिन्न अन्य संस्थान शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करते हैं। शैक्षिक गतिविधियों की गुणवत्ता और शिक्षा की पहुंच में विस्तार के लिए विशिष्ट परियोजनाओं की स्कीम बनाई गई है।

जिला स्तर पर

बुनियादी कार्यान्वयन इकाई (basic implementation unit) होने के नाते, जिला स्तर पर मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंशन का स्थानीयकरण समग्र शिक्षा का हॉलमार्क रहा है। जिला शिक्षक शिक्षा संस्थान (DIETs) जिला स्तर पर निरंतर शिक्षको को व्यावसायिक विकास, स्कूल सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

ब्लॉक और क्लस्टर लेवल पर

ब्लॉक संसाधन केंद्र और क्लस्टर संसाधन केंद्र दोनो ब्लॉक और क्लस्टर लेवल पर स्कूल स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और मूल्यांकन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां है।

BRCs और CRCs शिक्षको को अकादेमिक सहायता प्रदान करते हैं स्कूलों के नियमित दौरे से स्कूलों में सामुदायिक पकड़ मजबूत होती है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन (BITEs) की भी परिकल्पना की गई है।

स्कूली स्तर पर

प्राथमिक इकाई के रूप में स्कूल की परिकल्पना एसडीजी 4 के अनुसार प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। छात्रों को व्यक्तिगत समर्थन कर उन्हे सशक्त बनाना, जीवन भर सीखने और रोजगार हेतु सक्षम बनाना इन स्कूलों का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सभी छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन और सीखने की क्षमता में सुधार करना और स्कूल स्तर पर डिजाइन और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना, पोषण, आगे आने के अवसर प्रदान करने इनका लक्ष्य है।

एनईपी ने शिक्षकों को कक्षा संचालन में नवाचार करने और नवीन शिक्षाशास्त्र लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। 'संपूर्ण विद्यालय आधारित योजना निर्माण तथा उसका क्रियान्वयन शिक्षा के दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन को दर्शाता है।
शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों को विशेष तरह के अनुदान प्रदान किए जाते है जिसने स्कूली उपकरण तथा खेल का सामानखेल उपकरण, प्रयोगशालाओं, बिजली शुल्क, इंटरनेट, पानी, शिक्षण सहायक सामग्री आदि की लागत शामिल है।

छात्रों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय अनुदान प्रदान किया जाता है। बच्चों के समग्र विकास की आवश्यकता को समझते हुए सभी स्कूलों में योग और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त खेल उपकरणों की खरीद, गतिविधियों के संचालन, प्रतियोगिताओं अर्थात शारीरिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रों के विकास हेतु स्कूलों को गतिविधि केंद्र में परिवर्तित किया जाना है। विभिन्न क्लब जैसे वाद-विवाद, संगीत, कला, खेल, पढ़ना, युवा, विज्ञान या इको क्लब छात्रों में जीवन कौशल, शौक, आत्म-सम्मान का निर्माण, आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करने में सहायक होते है। स्कूल को पढ़ने के लिए एक आनंदमय स्थान बनाने की दृष्टि से, स्कूल छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

कला उत्सव, ढोल प्ले प्रतियोगिता, बैंड प्रतियोगिता, संगीत, शिक्षक प्रतियोगिता और लोक-नृत्य प्रतियोगिताएँ इन गतिविधियों में शामिल है। एनईपी ने स्कूलों को 'सामाजिक चेतना केंद्र' के रूप में उपयोग करने की कल्पना की है तथा इसका कार्यान्वयन तालमेल और संसाधनों के कुशल उपयोग से एसडीजी4 प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सामुदायिक भागीदारी तथा निजी, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठन के साथ साझेदारी

SDG4 का स्थानीयकरण केवल प्रशासनिक इकाई तक ही सीमित नहीं हो सकता बल्कि इसे बड़े पैमाने पर सभी हितधारकों तक पहुंचना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब सभी हितधारक एक साथ सहयोग करें। इसलिए स्कूल विकास योजनाएँ तैयार करने के लिए समुदाय के सदस्यों और स्थानीय प्राधिकरण के साथ स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन किया जाता है।

निजी और परोपकारी क्षेत्र की भूमिका इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है इससे विशेषज्ञता के साथ-साथ नवीन प्रथाओं का सम्मिलन होता है।

गैर सरकारी संगठनों / सीएसओ / कॉरपोरेट्स के साथ सहयोग क्षमता निर्माण, बुनियादी ढाँचे और शिक्षण-शिक्षण प्रक्रिया के लिए समर्थन प्रदान करता है। गृह-संरक्षक के रूप में माता-पिता भी सीखने के परिणामों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। MoE की विद्यांजलि पहल बुनियादी ढांचे के विकास और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए सभी को समर्थन हेतु प्रोत्साहित करती है। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉप-आउट और स्कूल से बाहर के बच्चों के मुद्दों पर आसानी से लोगों को एड्रेस किया जा सकता है।

सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ कन्वर्जेंस

एसडीजी प्राप्त करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ सम्मिलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लक्ष्य अंतर-संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित हैं। स्कूल और ग्राम स्तर की बुनियादी इकाई पर एसडीजी का स्थानीयकरण सभी योजनाओं के कन्वर्जेंस का अधिक प्रभाव डालता है। यह प्रयासों, संसाधनों और ऊर्जा की बरबादी से भी बचाता है और तालमेल से काम करने का अवसर प्रदान करता है। ईसीसीई लिंकेज के लिए डब्ल्यूसीडी मंत्रालय, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, बाल श्रम से निकाले गए सभी बच्चों के नियमित पड़ोस के स्कूलों में नियमित मुख्यधारा के स्कूलों में सफल मुख्यधारा को बढ़ावा देने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए को सहायता की योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों में खेल के मैदानों, चहारदीवारी, रैंप, शौचालयों आदि की व्यवस्था के लिए स्कूल स्वास्थ्य

कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूहों द्वारा, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्कूल वर्दी का प्रावधान, कचरे का पुनर्चक्रण, स्कूल का रखरखाव शौचालय और रसोई सहित परिसर का प्रयास किया जा रहा है। स्कूलों में भारत नेट सेवाओं के विस्तार के लिए डीओटी, कौशल पहल के लिए एमएसडीई, खेलो इंडिया में अधिक भागीदारी के लिए खेल और युवा मामले विभाग और युवा स्वयंसेवकों को स्कूल से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के माध्यम से, समग्र शिक्षा और PM पोषण के विभिन्न की योजना बनाई गई है और SDG4 के लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए इन्हें स्कूल स्तर पर लागू किया जा रहा है।

कोविड 19 महामारी और लोकलाइजेशन की आवश्यकता

कोविड महामारी ने शिक्षा को काफी प्रभावित किया। स्कूल बंद होने का असर बच्चो की शिक्षा पर पड़ा। इस महामारी ने दिखाया है कि ऐसी आपदा से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण और प्रभावी है। उस वक्त बच्चो की शिक्षा जारी रखने के लिए स्कूल और गाँव के स्तर कई प्रयास हुए। जब स्कूलों को मजबूरीवश बंद करना पड़ा तब स्थानीय स्तर पर कई कदम जैसे मोहल्ला पाठशाला, दीवारों पर पेंट करके छात्रों को पढ़ाना आदि ने शैक्षिक अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल स्थानीयकरण सिस्टम को किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करता है।

निष्कर्ष

शिक्षा राष्ट्र निर्माण, विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। LDGS का लोकलाईजेशन लोगो के विकास और उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। 'one size, fits all' गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। SDG इंडिया इंडेक्स विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन की तुलना करता है। SDG सूचकांक को जिले और गांव के स्तर पर लोकलाइज करने की आवश्यकता है। यह कदम उन्हे नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और प्रदर्शन को नापने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। localisation हमारी क्षमताओं में वृद्धि करेगा। शिक्षा मे SDG प्राप्त कर लेने से 2030 तक के अन्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को गति मिलेगी और तब हम समाज को और सुंदर बना पाएंगे।

****

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

• डॉ. बिजय कुमार बेहेरा - आई. ई. एस.

1 पृष्ठभूमि:

1.1 SDG की प्राप्ति के लिए प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुरस्कार के रूप में पंचायतों को प्रोत्साहित करना विकासात्मक योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन के लिए एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का एक अभिन्न अंग है। इसलिए, पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित कर रहा है, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के मुख्य अंग में से एक है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष आमतौर पर 24 अप्रैल को दिए जाते हैं, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ था।

1.2 7 दिसंबर, 2021 को पंचायती राज्य मंत्रालय में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (LSDG) के स्थानीयकरण पर रिपोर्ट जारी की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक एसडीजी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के तरीके के रूप में स्थानीय (ग्राम पंचायत) स्तर पर कार्रवाई के लिए 17 SDGs एकत्र करने वाले 9 थीम्स की पहचान की। ये 9 थीम्स हैं निम्नलिखित है -

(i) गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गांव, (ii)) स्वस्थ गाँव, (iii) बच्चों के अनुकूल गाँव, (iv) पर्याप्त पानी वाला गाँव, (v) स्वच्छ और हरित गाँव, (vi) गाँव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, (vii) सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव, (viii) सुशासन वाला गाँव और (ix) महिलाओं के अनुकूल गांव।

2 - औचित्य

पंचायत स्तर पर एसडीजी (SDGs) प्राप्त करने की दिशा में एक व्यवस्थित योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और जवाबदेही के लिए PRI को प्रेरित करने और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के भाग-IX में सूचीबद्ध 29 विषयों पर विभिन्न सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय ब्लॉक, जिला, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रतियोगिता की एक बहु-स्तरीय संरचना स्थापित करने के लिए पंचायत पुरस्कारों को 9 थीम्स वाली एलएसडीजी (LSDG) को निम्न उद्देश्य प्राप्त हेतु नया रूप दिया गया है।
यह उद्देश्य निम्न है।

1 - चिन्हित 9 विषयों के माध्यम से एसडीजी प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थाओं के प्रदर्शन का आकलन करें
2 - पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना
3 - पीआरआई के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण (Localization of SDGs through PRIs') की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना और 2030 तक एलएसडीजी प्राप्त करने के महत्व के बारे में पीआरआई को संवेदनशील बनाना।

4 - प्रक्रिया/संरचना

4.1 संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सभी पंचायतों को 9 पुरस्कार विषयों में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रत्येक थीम के तहत सभी पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी जाएगी। उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन ब्लॉक स्तरीय विषयगत समितियों द्वारा किया जाएगा और जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए 3 शीर्ष रैंकिंग ग्राम पंचायतों की सिफारिश की जाएगी। इसके अलावा जिला और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक विषय के तहत 3 शीर्ष रैंकिंग GPs का आकलन और सिफारिश करेंगे। ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चयन समितियां नोडल विभागों/मंत्रालयों को नियुक्त करेंगी।

4.2 संबंधित स्तरों पर प्रत्येक विषय के लिए विषयगत चयन समिति पुरस्कार प्राप्तकर्ता पंचायतों का चयन करेगी। पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ब्लॉक, जिला और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर के पुरस्कार विजेताओं को नकद या वस्तु के रूप में सम्मानित और पुरस्कृत कर सकते हैं।

• आर्थिक सलाहकार , पंचायती राज मंत्रालय

5. पुरस्कार प्रश्नावली

देश भर में सभी ग्राम पंचायतों का आकलन और रैंकिंग करने के लिए मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से MoPR द्वारा प्रत्येक विषय के लिए प्रश्नावली विकसित की गई हैं।

6. पंचायती राज्य संस्थाओं की भागीदारी और पुरस्कारों की संख्या:

संशोधित प्रणाली के तहत, सभी (लगभग 2.56 लाख) ग्राम पंचायतों और समान स्तर के पारंपरिक स्थानीय निकायों को सभी 9 विषयगत पुरस्कारों हेतु प्रतिभाग करना है और तदनुसार, विभिन्न स्तरों पर पुरस्कार विजेताओं की संख्या (ब्लॉक, जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 2.18 लाख और राष्ट्रीय स्तर पर 99) होने की उम्मीद है।

7. पुरस्कारों की श्रेणियाँ:

7.1 राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दो श्रेणियों के तहत ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों को दिए जाएंगे:
•दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (व्यक्तिगत विषय-वार प्रदर्शन के लिए)
•नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत विकास पुरस्कार (सभी विषयों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए)

7.2 इसके अलावा पुरस्कारों की कुछ विशेष श्रेणियों पर भी विचार किया गया है

• ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और उपयोग करने के लिए ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार

• शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य के लिए कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार।

•ग्राम पंचायत के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार जो बाद के वर्षों में भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त करता है और शॉर्टलिस्ट किया जाता है।

• LSDGs प्राप्त करने में GPs को संस्थागत सहायता प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार।

•सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला/ब्लॉक पंचायत।

8. पुरस्कारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया :

8.1 मंत्रालय ने राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज तैयार और साझा किए हैं:

• मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), ग्राम पंचायतों द्वारा संशोधित पुरस्कार और ऑनलाइन प्रश्नावली भरने की प्रक्रिया की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के उन्मुखीकरण के कैस्केडिंग मोड के लिए समय-सीमा के साथ निगरानी के संबंध में।

• राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल पर आवेदन/डेटा प्रविष्टि से संबंधित तकनीकी पहलू पर SoP।

8.2 संबंधित विभागों से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के अधिकारियों को संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार आवेदन प्रक्रिया पर उन्मुखीकरण प्रदान करना, जो इसे पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) तक एक कैस्केड (cascade) मोड में प्रसारित करेंगे, संशोधित राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए रोड मैप की तैयारी पर एक राष्ट्रीय राइट-शॉप पंचायत का आयोजन 16-18 अगस्त, 2022 को दिल्ली में किया गया। इस आयोजन के दौरान, बड़े पैमाने पर भागीदारी के लिए संपूर्ण पुरस्कार प्रणाली की लोकप्रियता और प्रचार हेतु राष्ट्रीय मीडिया रणनीति भी प्रस्तुत की गई ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर इसे तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके।

9. पुरस्कार पोर्टल:

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) निम्न के लिए मंच प्रदान करेगा:
• पंचायतों द्वारा पुरस्कार के लिए आवेदन
• विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और ब्लॉक) पर अभिविन्यास और प्रश्नावली (orientations and Questionnaire) भरने की निगरानी करना।

••••

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की यात्रा

* सीबी, डिवीज़न, पंचायती राज मंत्रालय

1 - भारत सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का हस्ताक्षरकर्ता है, और उनकी उपलब्धि के लिए प्रतिबद्ध है। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है। NITI Aayog ने राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क डेटा (National Indicator Framework data) का उपयोग करके SDG इंडिया इंडेक्स तैयार किया। जिससे एसडीजी (SDGs) और लक्ष्यों के साथ विभिन्न मंत्रालयों और उनकी योजनाओं की मैपिंग की जाती है।

2 - इसे देखते हुए कि लगभग 70% भारत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसलिए एसडीजी (SDGs)के स्थानीयकरण में पंचायती राज संस्थाओं विशेषकर ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

3 - पंचायती राज मंत्रालय ने एसडीजी के प्रति एक विषयगत दृष्टिकोण विकसित किया है जिसके तहत 9 विषयों को विकसित किया गया है। इनमें से प्रत्येक थीम में कई SDGs शामिल हैं।

4 - विषयगत दृष्टिकोण अपनाने से पंचायतों द्वारा समुदाय की भागीदारी के साथ उनकी स्वीकृति और कार्यान्वयन में आसानी होगी।

5 - इन विषयों में से प्रत्येक में कई एसडीजी शामिल हैं, जो विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं के लिए मैप का कार्य करेंगे। इसलिए, इससे संसाधनों का convergence होगा और पंचायत स्तर पर उनकी उपलब्धता बढ़ेगी।

6 - एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नीचे हस्तक्षेपों की श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, सीएसओ और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना शामिल है ताकि जमीनी स्तर पर निरंतर उचित तरीके से काम किया जा सके।

7- 2018-19 से 202-21 तक लागू आरजीएसए की योजना को 01.04.2022 से 31.03.2026 तक लागू करने के लिए 13.04.2022 को सरकार द्वारा संशोधित और अनुमोदित किया गया है। संशोधित योजना का लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में परिकल्पित करना है, जिसमें जमीनी स्तर पर विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के Localisation पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

8 - अंतर-मंत्रालयी (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय/विभाग, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, नई और नवीकरणीय ऊर्जा और भूमि संसाधन) के kath संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों ने एलएसडीजी की प्राप्ति के लिए सहायक प्रयासों हेतु बैठक का आयोजन किया।

9 - एलएसडीजी LSDGs) की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ MoPR द्वारा राज्यों को थीम-वार संयुक्त सलाह जारी की गई है।

10 - ग्रामीण भारत में एलएसडीजी के लिए मिलकर कार्य हेतु 21 मंत्रालयों के 26 विभागों द्वारा संयुक्त प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जो संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का प्रतीक है।

11 - एसडीजी के स्थानीयकरण पर समयबद्ध हस्तक्षेप के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों के स्तर और कार्य योजना को समझने के उद्देश्य से चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया था।

12 - एलएसडीजी में संबंधित डोमेन में उनके समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए और डब्ल्यूएचओ) के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, एलएसडीजी में जमीनी स्तर पर सहयोगी कार्यों के लिए AKAM के दौरान इन एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एसओयू) पर हस्ताक्षर भी किए गए।

13 - प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए MoPR द्वारा आठ विषयगत समितियों का गठन किया गया है।

- मजबूत डेटा साझाकरण तंत्र विकसित करना
- LSDGs उन्मुख बनाने हेतु GPDP के दिशानिर्देशों और प्रारूप में संशोधन करना।
- पंचायत विकास सूचकांक (PDI) तैयार करना
- LSDGs उन्मुख बनाने के लिए 2014 में तैयार राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचे की समीक्षा।

14 - मंत्रालय ने 11 से 17 अप्रैल, 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित सप्ताह मनाया, जिसमें एसडीजी के स्थानियाकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें line ministers, राज्य के पंचायती राज विभाग, एसआईआरडी, पीआरआई और पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) के नामित निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अकादमिक संस्थानों, डोमेन विशेषज्ञों और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी शामिल थी जो सरकार और समाज के दृष्टिकोण को दिखाती है।

15 - मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 24 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का अनुरोध किया, जिसमें 1 से 3 विषयों की संतृप्ति के लिए 'संकल्प' लिया जाना था।

16 - एनआईआरडी एंड पीआर में 30-31 मई, 2022 को एसडीजी के क्षेत्र में 11 राज्यों के साथ रोडमेप तैयार करने और एलएसडीजी के लिए कार्रवाई की योजना पर विचारों को साझा करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

17 - 4-6 जुलाई, 2022 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पंचायतों के माध्यम से एलएसडीजी पर राज्य कार्य योजना और रोडमेप तैयार करने पर 3 दिवसीय नेशनल राइट-शॉप का आयोजन किया गया।

18 - विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से LSDGs पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला जो की थीम 6 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव पर केंद्रित है का आयोजन चंडीगढ़, पंजाब में तथा थीम 4 और 5 : पर्याप्त जल और स्वच्छ गांव का आयोजन पुणे में एवम् थीम 1 :गरीबी मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका वाला गांव थीम का आयोजन एर्नाकुलम, केरल में आयोजित किया गया है।

19 - MoPR ने राज्यों को सलाह दी है कि वे SIRDs/ETCs/PRTCs/SPRCs/DPRCs/BPRCs आदि में प्रत्येक संकाय सदस्य को 5 GPs असाइन करें ताकि GPDPs के माध्यम से संकल्प के रूप में लिए गए विषयों की प्राप्ति के लिए पंचायतों को सहायता प्रदान की जा सके।

20 - योजना प्रक्रिया में विषयगत दृष्टिकोण के एकीकरण हेतु लेंस के माध्यम से जीपीडीपी दिशानिर्देश को संशोधित किया गया है।

21 - एलएसडीजी के विषयों के अनुरूप गतिविधियों के देखरेख करने के लिए ईग्रामसराज पोर्टल Egramsaraj portal की विशेषताओं में संशोधन किया गया है।

22 - जीपीडीपी की तैयारी में विषयों के एकीकरण पर ध्यान देने के साथ जन योजना अभियान शुरू किया गया।

आगे -

- विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से एलएसडीजी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी।
- एलएसडीजी पर राज्य कार्य योजना और रोडमेप विकसित किया जाएगा और राष्ट्रीय कार्यशाला में लॉन्च किया जाएगा।

आगे -

- विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से एलएसडीजी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी।
- एलएसडीजी पर राज्य कार्य योजना और रोडमेप विकसित किया जाएगा और राष्ट्रीय कार्यशाला में लॉन्च किया जाएगा।

••••

पंचायत में विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से एलएसडीजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला

थीम 6:- आत्मनिर्भर अधोसंरचना से युक्त गांव
22 और 23 अगस्त, 2022, चंडीगढ़, पंजाब

• पियाली रॉय चौधरी

Village with Self-Sufficient Infrastructure

अवलोकन:

पंचायती राज मंत्रालय PRIs में सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए प्रयास रहा है कि 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण में विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर एक साथ लाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और अन्य संबंधित हितधारकों को सशक्त बनाने के माध्यम से जमीनी स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के लिए एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है।

सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए विषय (themes) निम्नलिखित हैं :

थीम 1: गरीबी मुक्त गाँव और बढ़ी हुई आजीविका
थीम 2: स्वस्थ गांव
थीम 3: बच्चों के अनुकूल गांव
थीम 4: पर्याप्त जल वाला गांव
थीम 5: स्वच्छ और हरा-भरा गांव
थीम 6: आत्मनिर्भर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला गांव
थीम 7: सामाजिक रूप से सुरक्षित और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण गांव
थीम 8: सुशासन वाला गांव
थीम 9: महिला हितैषी गांव

पंचायत विभिन्न विकासात्मक चुनौतियों जैसे गरीबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, लिंग, स्वच्छता, पेयजल, आजीविका उत्पादन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो एसडीजी के साथ तालमेल रखती हैं। इसलिए, सुशासन हेतु 9 विषयगत दृष्टिकोणों को अपनाते हुए एसडीजी के स्थानीयकरण में पंचायतों की पहचान प्रमुख भूमिका के रूप में की जाती है।

इस शुरुआत में, थीम 6 पर विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण पर 2-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला: -पंजाब में 22 और 23 अगस्त, 2022 को थीम - आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे के साथ गांव का आयोजन किया गया। सभी राज्यों के प्रतिनिधि / संघ शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया एवम् देश भर में पंचायतों के 1300 निर्वाचित प्रतिनिधियों को सड़क, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीटलाइट, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, स्थानीय बाजार, आंगनवाड़ी केंद्र, पशुधन सहायता केंद्र और सामुदायिक केंद्र के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन मॉडल से अवगत कराया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य: -

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के संदर्भ में अनुकरणीय रणनीतियों, दृष्टिकोणों, और कार्यों हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में एसडीजी के विषयों की निगरानी, प्रोत्साहन पर नवीन मॉडलों का प्रदर्शन किया।

• कंसल्टेंट, सी बी डिवीज़न, पंचायती राज मंत्रालय

कार्यशाला का परिणाम: -

कार्यशाला को जमीनी स्तर पर lense विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से एलएसडीजी की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए विभिन्न मॉडलों पर पंचायतों के सहकर्मी को सीखने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इसके अलावा, इसने स्थानीय प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय संगठन और विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना/विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान किया।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, माननीय राज्य मंत्री, पंचायती राज, श्री कुलदीप सिंह धालीवाल, माननीय ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री और पंजाब राज्य के कैबिनेट मंत्री, सचिव, MoPR, सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग , मुख्य सचिव, पंजाब, वित्तीय आयुक्त, संयुक्त सचिव, एमओपीआर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई एवं ग्रामीणों को बुनियादी सेवाएं हेतु पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी और नवीन मॉडलों को अपनाने पर अपने विचार रखे।

कार्यशाला में, पंजाब पंजाब राज्य द्वारा LSDGs में गति बनाए रखने के लिए की गई कुछ पहलें शुरू की गई है जैसे कि एसडीजी गान; राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वेबसाइट; प्राइम मोबाइल ऐप; एसडीजी विवरणिका और ग्राम सभा पुस्तिका। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इनका अनावरण किया गया।

पंजाब की विभिन्न ग्राम पंचायतों ने अपने द्वारा विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण; स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचे के निर्माण में धन/योजनाओं और मानव संसाधनों के साथ प्रौद्योगिकी और मॉडल और अभिसरण मानचित्रण को अपनाना; पेय जल; शिक्षा; सामान्य सेवा केंद्र; सड़कें; कनेक्टिविटी; स्थानीय बाजार, मनोरंजन केंद्र; रहने में आसानी के लिए स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता आदि के क्षेत्र में अपने सर्वोत्तम प्रयासों एवम दृष्टिकोणों को साझा किया।

ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर अच्छी मान्यताओं को शामिल करने वाली लघु फिल्मों को साझा किया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच/अध्यक्ष को ग्राम स्तर पर अभिनव मॉडलों को अपनाने के उद्देश्य से अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के साथ विचारों को आदान-प्रदान करने का अवसर मिला।

सर्वोत्तम आचरण को दर्शाने वाली ग्राम पंचायत का नाम निम्नलिखित है:-

Sector	Gram Panchayat
Education	Sanghol
Health	Rurka Kalan,Jalandhar.
Water Supply & Sanitation	Sangrur.
ICDS / AWC	S.B.S Nagar

विभिन्न हस्तशिल्प पर प्रदर्शनी स्टाल; - कुटीर उद्योगों और ग्रामीण उद्यमों को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), पंजाब के एसआरएलएम द्वारा स्थापित किया गया था। SHG सदस्यों ने स्थानीय उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि और गैर-कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया।

विभिन्न राज्यों की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे के साथ सुशासन को मजबूत करने के लिए नवीन मॉडल और रणनीतियों और आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग पर ध्यान देने के साथ अपने केस स्टडी को साझा किया। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीजी को स्थानीय बनाने के तंत्र पर प्रकाश डालते हुए लघु फिल्में/फिल्में दिखाई गईं।

पंजाब की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिकता को दर्शाने के लिए कल्चरल नाइट का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने गीतों के माध्यम से विभिन्न विरासतों और सांस्कृतिक समृद्धि, नृत्य और बोलियों पर रोशनी डाली।

आगे बढ़ते हुए :

A - विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एलएसडीजी के संस्थागतकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रणालियो के आदान-प्रदान के लिए मंच।
B - ग्राम पंचायत के आत्मविश्वास के विकास के माध्यम से कौशल और ज्ञान में परिवर्तन।
C - टिपॉजिटरी / आर्काइव ऑफ द बेस्ट प्रेक्टिसेज
D - एलएसडीजी LSDGs के lense के माध्यम से ग्राम पंचायतो की क्षमता निर्माण
E - एक फोरम में निर्वाचित प्रतिनिधियों का संगम।
F - हस्तशिल्प और ग्रामीण कारीगरों के माध्यम से स्थानीय परंपराओं और संस्कृतियों का चित्रण।

••••

सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 को साकार करने हेतु गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय कार्यशाला

गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय कार्यशाला: हितधारकों के लिए एक क्रॉस-लर्निंग प्लेटफॉर्म

* शुद्धसत्व बारिक और प्रियंका दत्ता

सशक्त पंचायत सतत् विकास

स्थानीय स्वशासन विभाग और केरल सरकार के केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान के सहयोग से एनओपीआर द्वारा 'थीम - 1: गरीबी मुक्त और आजीविका ग्राम पंचायतों में वृद्धि' पर इस तरह की एक राष्ट्रीय कार्यशाला 14 - 16 नवंबर 2022 को सीआईएएल-कन्वेंशन सेंटर, कोच्चि, केरल में आयोजित की गई। जिसमे निम्न उद्देश्यों को खास तौर पर रेखांकित किया गया:

- थीम 1 को बढ़ावा देना: हितधारकों के बीच गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका ग्राम पंचायतें।
- जमीनी स्तर पर लैंस थर्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से एलएसडीजी की प्रक्रिया को कार्य करने के लिए विभिन्न मॉडलों पर PRI सदस्यों और सहकर्मी सीखने के लिए एक मंच प्रदान करना।
- स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए सूचना, विचारों और कार्यों के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहित करना।
- क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के संदर्भ में मौलिक और अनुकरणीय रणनीतियों, दृष्टिकोणों का पालन करना और अभिनव मॉडल प्रदर्शित करना; विषय-विशिष्ट मुद्दों और चिंताओं पर विचारो का आदान प्रदान; जीपीडीपी में एसडीजी के विषयों की निगरानी और उनका प्रोत्साहन।
- पीआरआई PRI तंत्र के विभिन्न हिस्सेदारों के लिए एलएसडीजी लोगो की लोकप्रियता और प्रचार, अवधारणाओं और इसके स्थानीय संकेतक ढांचे (एलआईएफ) का व्यापक प्रसार करना।
- डिजिटल समावेशन, ग्राम गरीबी न्यूनीकरण योजना (वीपीआरपी), विषयगत जीपीडीपी प्रक्रिया और स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) महत्व को समझना और बहुआयामी गरीबी को खत्म करने पर इसके सकारात्मक प्रभाव को समझना।
- सतत ग्रामीण विकास के लिए ''Agents of Change'' के रूप में 34 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 2500 पीआरआई हितधारकों के बीच इनोवॉल प्रभाव को द्विगट करने के लिए 'Whole of Ecology' का निर्माण करना।

कार्यशाला आयोजित करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली:

चूंकि, गरीबी एक बहुआयामी घटना है, जिसमें - आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, लिंग और असमानताओं और अभाव के अन्य क्षेत्रों में असमानता शामिल है। इसलिए राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए पैनल चर्चा की पद्धति को अपनाया गया था। 3 दिवसीय आयोजन में से, पहले दो दिनों में पैनल चर्चा के सत्र शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के प्रमुख पहलुओं को संबोधित करने के लिए उद्घाटन सत्र सहित कुल सात सत्रों की रूपरेखा तैयार की गई थी। प्रत्येक पैनल में पैनलिस्ट के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जीपी के ईआर और ईडब्ल्यूआर, कार्यकारियों और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों, डोमेन विशेषज्ञों, गेर सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और वित्तीय संस्थानों से संबंधित मंत्रालयों और विभाग के संबंधित सचिवों की अध्यक्षता में शामिल थे।

*[1] सीनियर कंसल्टेंट (एल. एस. डी. जी.) सी. बी. डिवीज़न, पंचायती राज मंत्रालय
*[2] कंसल्टेंट (एल. एस. डी. जी.) सी. बी. डिवीज़न, पंचायती राज मंत्रालय

सत्र निम्न प्रकार से थे:
: उद्घाटन सत्र
: उपेक्षित संबोधन - बहुआयामी एवम् समावेशी गरीबी
: आय वृद्धि और सामुदायिक विकास के लिए स्वयं सहायता समूहों की क्षमता को समझना।
:आजीविका - आय गरीबी को दूर करने में पंचायतों की भूमिका।
:पंचायतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संरक्षण के लिए सेफ्टी नेट।
: केरल राज्य से गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका जीपी पर सर्वोत्तम कदम।
: आगे बढ़ें

पिछले अनुभवों से सीखते हुए यह देखा गया है कि कम समय में अधिक से अधिक दर्शकों तक सूचना प्रसारित करने के लिए ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन के लिए एक अधिक संवादात्मक, प्रभावी और आकर्षक संचार उपकरण की आवश्यकता है। जिसके लिए, एक सामान्य पॉवरपॉइंट प्रस्तुति के बजाय, प्रत्येक हितधारक से लोगों की आवश्यकता को पूरा करने वाले विषय के विशिष्ट मुद्दों पर 2-3 मिनट की वीडियो प्रस्तुति का उपयोग किया गया। इसके बाद हितधारकों और पैनलिस्टों के बीच एक सवाल-जवाब सत्र हुआ जो एक क्रॉस-सांस्कृतिक सीखने के माहौल की एक श्रृंखला को निर्मित करता है। यह बदले में पीआरआई (PRI) हितधारकों के बीच नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें अपना पहला अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करता है।

राष्ट्रीय कार्यशाला का तीसरा दिन प्रतिभागियों - ईआर, ईडब्ल्यूआर के कार्यकारियों, और पीआरआई अधिकारियों और एसएचजी सदस्यों के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागियों को केरल जिले के गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका थीम के तहत 52 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले ग्राम पंचायत में फील्ड / एक्सपोजर विजिट के लिए नामित किया गया था।
राष्ट्रीय कार्यशाला के दो दिनों के दौरान अन्य राज्यों के समूहों के साथ केरल राज्य में कुदुम्बश्री पहल के तहत SHG समूहों द्वारा कुल 50 प्रदर्शनी स्टाल लगाए गए थे। स्टॉल में स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित कच्चे माल, खाद्य उत्पाद, गृह सज्जा, मसाले, कपड़े, आभूषण, पर्यटन, कलाकृतियाँ आदि सहित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।

लक्षित हितधारक -

कार्यशाला का उद्देश्य जमीनी स्तर पर अंतिम व्यक्ति तक एलएसडीजी के विषयगत दृष्टिकोण की जानकारी और ज्ञान का प्रसार करना है। इसलिए, कार्यशाला के प्राथमिक हितधारक ईआर, जीपी सचिव और एसएचजी सदस्य हैं। द्वितीयक हितधारक सरकारी अधिकारी, डोमेन विशेषज्ञ, एनजीओ, आईएनजीओ, शैक्षणिक संस्थान और वित्तीय संस्थान हैं।तृतीयक हितधारक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया है। इसलिए, पीआरआई के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए 'Whole of Ecology' ' दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है।

अवलोकन: मुद्दों कि पहचान और उनको संबोधित करना

कार्यशाला ने देश भर में विभिन्न जीपी और पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में बहु-आयामी गरीबी उन्मूलन में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इसने केरल के जीपी द्वारा अपनाई गई पहल को सीखने और दोहराने के लिए क्षेत्र के दौरे के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता में भी वृद्धि की। इसलिए कार्यशाला के प्रमुख अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) इस प्रकार हैं:
उपेक्षित को संबोधित करना:

•सीमांत समुदायों के लिए किफायती आवास के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध कम लागत वाली सामग्री का उपयोग करना।
• कमजोर समूहों द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली डिजिटल साक्षरता।
• कल्याण कार्यक्रमों की सहायता के लिए OSR जेनरेशन।

बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच:

•उपेक्षित और कमजोर समुदायों, विशेष रूप से वृद्ध आबादी के लिए उपशामक देखभाल (alliative care) का प्रावधान।
• गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाना।
•स्वास्थ्य सुविधाएं और प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करके बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए सम्मिलित योजनाबद्ध प्रयास अपनाना।

रोजगार सृजन और आय में वृद्धि:
• सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से आय में वृद्धि:
•कृषि और गैर-कृषि उत्पादकता और मार्केटिंग में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाओं और मशीनरी का निर्माण करके किसानों की आय में वृद्धि करना।
•आजीविका संवर्धन के लिए हस्तकला और हथकरघा और पारंपरिक कारीगरों की एसएचजी में भागीदारी।
•स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा उत्पादों का खाद्य प्रोसेसिंग, भंडारण और मार्केटिंग।

सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण संरक्षण:

• जागरूकता बढ़ाना, लाभार्थियों की पहचान करना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

•MGNREGS के माध्यम से स्थायी आजीविका उत्पन्न करना, पलायन को रोकना, कमजोर समुदायों की आर्थिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण।
•आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने और जीपीडीपी में इसके एकीकरण में सक्रिय लोगों की भागीदारी।
•ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (वीपीआरपी) तैयार करना और जीपीडीपी के साथ इसका एकीकरण।
• आय सृजन के संभावित स्रोतों के दोहन के लिए तकनीकी और तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता के लिए पीआरआई आईआईटी, और नाबार्ड के अकादमिक और वित्तीय संस्थानों के साथ संबंध।
• टिकाऊ आजीविका के अवसरों के लिए नृतप्राय इकोसिस्टम को संशोधित करने के लिए गेर सरकारी संगठनों, नागरिकों और सरकार द्वारा सम्मिलित एक्शन।

परिणाम:

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए अंतिम स्तर तक विषयों के बारे में अधिक जागरूकता और प्रसार सुनिश्चित करना था। इसके आधार पर, कार्यशाला के अपेक्षित परिणाम निम्न हैं:

• विषयगत जीपीडीपी तैयार करने के लिए ईआर विशेष रूप से ईडब्ल्यूआर और एसएचजी सदस्यों के बीच निर्णय लेने की शक्ति के माध्यम से नेतृत्व वृद्धि।
•स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए चेंज-मेकर का एक पुल बनाना।
• योजनाबद्ध सम्मिलित दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से OSR सृजन, रोजगार सृजन और उद्यमिता विकास के लिए PRI-SHG अभिसरण।
• एलएसडीजी लोगो को लोकप्रिय बनाकर विषयगत दृष्टिकोण पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करना।

निष्कर्ष:

थीम 1 गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका जीपी पर राष्ट्रीय कार्यशाला जमीनी स्तर पर आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देकर गरीबी उन्मूलन से संबंधित सफलताओं, चुनौतियों और मुद्दों को समझने के लिए उपयोगी साबित हुई है। इस 3-दिवसीय आयोजन का लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव दूरगामी होगा क्योंकि हितधारक इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के ज्ञान और क्रॉस-लर्निंग अनुभव से समृद्ध हुए हैं। हितधारकों ने कार्यशाला के दौरान साझा किए गए विभिन्न दृष्टिकोणों से अपने स्थानीय मुद्दों की प्रत्यक्ष जानकारी और समस्या समाधान समाधान भी प्राप्त किया है।
इस प्रकार, अपने संबंधित ग्राम पंचायतों में आजीविका सृजन के माध्यम से गरीबी मुक्त स्थिति प्राप्त करने की दिशा में नए दृष्टिकोण अपनाने में ईआर को प्रेरित और बढ़ावा दिया गया और बदले में पीआरआई (pRI) ने सतत विकास के लिए वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय कार्यों में बदलकर एजेंडा 2030 के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता का समर्थन किया।

****

पंचायती राज मंत्रालय के ईग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता

पंचायती राज मंत्रालय के ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (ईग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन) ने ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी 'डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता' के तहत गोल्डन अवार्ड जीता है।

यह पुरस्कार टीम ई-गवर्नेंस द्वारा किए गए उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्य की मान्यता है और टीम एनआईसी-एमओपीआर द्वारा समर्थित है।

26 नवंबर 2022 को जम्मू में ई-गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा एमओपीआर के संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं, जिन्होंने ई-पंचायत अनुप्रयोगों को बहुत तेजी से अपनाया है, ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी, पारदर्शी और कुशल बनाकर ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना को सफल बनाने में मदद की है।

....

डॉ. पी.पी. बालन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

• पंचायती राज मंत्रालय

गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट, डरबन, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षा इला गांधी ने डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स बस्ती में शांति और सुलह (2020) के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से डॉ. पीपी बालन को सम्मानित किया।

पंचायती राज मंत्रालय के सलाहकार डॉ. पी. पी. बालन को शांति और सुलह (2020) के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट, डरबन द्वारा गठित किया गया है और 2 अक्टूबर, 2022 को डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स बस्ती में आयोजित एक समारोह में डॉ. पी.पी. बालन को ट्रस्ट की अध्यक्ष इला गांधी यह पुरस्कार प्रदान किया। डॉ पी पी बालन को दिए गए प्रशस्ति पत्र में लिखा है, "शांति, मानवाधिकारों और न्याय को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट कार्य की बदौलत स्थानीय सरकार में भाग लेने के लिए ग्राम समुदायों की क्षमता में वृद्धि हुई और यह सशक्तिकरण उच्चतम स्तर की अखंडता, मानवीयता और करुणा के साथ किया गया। इन बदलावों से ग्राम समुदाय स्थानीय स्तर पर अखंडता और परिश्रम के साथ सरकारी सेवाएं प्रदान करने और सभी हाशिए के समूहों की समावेशिता सुनिश्चित करने में रचनात्मक भूमिका निभाने में सक्षम बनाया जा सकेगा।"

पूर्व में यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, केनेथ कौंडा आदि जैसे राष्ट्रीय नेताओं को दिया जा चुका है, लेकिन इस बार आयोजकों ने पंचायत के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति को इस भावना के तहत चुना कि वास्तविक शांति स्थानीय समुदाय से शुरू होती है।

समिति ने मूल्यांकन किया कि विकास गतिविधियों के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर की गई पहल शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए अच्छे परिणाम ला सकती है। इस संबंध में डॉ. बालन के योगदान को पुरस्कार के लिए चुना गया। डॉ. बालन ने 11 वर्ष की अवधि के लिए किला के निदेशक के रूप में कार्य किया और छप्परप्पदावु ग्राम पंचायत अध्यक्ष (1995-2000) के रूप में 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक सेवा की। एक पंचायत अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पंचायत में नवीन कार्यक्रमों की शुरुआत की - उनमें से कुछ माइक्रो हाईडल प्रोजेक्ट, कुल आवास योजना, जल संरक्षण कार्यक्रम और मुकदमेबाजी मुक्त पंचायत हैं। लोगों की भागीदारी से पंचायत में कई गतिविधियां संचालित हुईं। जनता का पुल, जनता का बस टर्मिनल, विद्यार्थियों का खेल का मैदान उनमें से कुछ प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं।

(क) पीपल्स ब्रिज (जनता का पुल)

जनता के पुल की कहानी पंचायत की विकास गतिविधियों में सामान्य लोगों की भागीदारी के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट करती है। इस गांव में एक नदी बहती है जो पंचायत को दो भागों में बांटती है। लोग दूसरी तरफ पार करने के लिए फेरी सेवा (ferry service) पर निर्भर थे।

में सामान्य लोगों की भागीदारी के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट करती है। इस गांव में एक नदी बहती है जो पंचायत को दो भागों में बांटती है। लोग दूसरी तरफ पार करने के लिए फेरी सेवा (ferry service) पर निर्भर थे। ग्रामीणों के लिए यह बहुत कठिन और समय की बरबादी का कार्य होता था क्योंकि परिवहन के लिए केवल एक छोटी डोंगी थी। नदी की चौड़ाई 150 मीटर और गहराई दो से तीन मीटर थी। लंबे समय तक लोगों की शिकायतों का समाधान नहीं हो सका। बढ़ते दबाव के कारण, पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें राज्य सरकार से इस मुद्दे को हल करने के लिए कंक्रीट पुल के निर्माण के लिए कहा गया। पुल निर्माण में पांच करोड़ से अधिक का खर्च होने के कारण पंचायत इस पर कुछ नहीं कर सकी। वित्तीय मुद्दों के कारण राज्य सरकार ने भी कोई फंड आवंटित नहीं किया। इस मुद्दे पर ग्राम सभा में चर्चा की गई जहां बैठक में शामिल होने वाले बुजुर्गों ने स्थानीय तकनीक का उपयोग करके लकड़ी के पुल के निर्माण का विचार रखा। प्रस्ताव पास होने के बाद लाभार्थी समितियों का गठन किया गया और काम। नवंबर, 1996 को शुरू कर दिया गया, इसी दिन केरल को राज्य बनाया गया था। निर्माण गतिविधियां एक अभियान के रूप में शुरू हुईं। लोगों ने दूर-दूर से नारियल के पेड़ों के ठूंठ इकट्ठे किए जो पुल के लिए खंभे का काम करते थे। स्थानीय तकनीक का इस्तेमाल कर नारियल के तने को नदी के नीचे फंसा दिया गया। इसके बाद पगडंडी बनाई गई। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने स्वेच्छा से पुल के निर्माण के लिए हाथ से हाथ मिलाया और पंचायत द्वारा एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। लोगों ने दिन-रात काम किया और 15 नवंबर, 1996 को उत्सव के वातावरण में पुल को ग्रामीणों के लिए खोल दिया गया। बाद में यह पुल आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे केरल में IX योजना के लिए लोगों के अभियान के उत्पाद के रूप में रेखांकित किया गया था। यह पुल लोगों की भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण बन गया। इसकी तकनीक और सामुदायिक भागीदारी को जानने के लिए दूर-दूर से लोग पुल को देखने आया करते थे। देश-विदेश से आए पर्यटक भी इसे देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। अमेरिका की 'जेड' पत्रिका ने 'मलयाली लोगों को शक्ति' शीर्षक के तहत पुल की एक कवर स्टोरी भी प्रकाशित की।

पीपल्स ब्रिज कुछ महत्वपूर्ण संदेश देता है:

•जनभागीदारी हो तो काफी हद तक खर्च को कम किया जा सकता है।
•पुल बिना लागत वाली निर्माण गतिविधि का सबसे अच्छा उदाहरण है।
•कार्य पूर्णयता
• संसाधनों का अधिकतम उपयोग
• लोगों का स्वामित्व
•स्थानीय प्रौद्योगिकी और ज्ञान का उपयोग
•ग्राम सभा की एक मांग को एक महीने की छोटी अवधि में पूरा किया गया।

(ख) मुकदमेबाजी मुक्त पंचायतें :-

भले ही पंचायत के पास कोई न्यायिक शक्तियाँ न हों, फिर भी इस पंचायत में विवाद समाधान के लिए एक समिति गठित की गई। इस पंचायत में उच्च न्यायालय में भी लंबित कई मामलों को वापस लाया गया और सुलह के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया गया। पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और चप्पारापावेदु जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाली पहली पंचायत बन गई।

(ग) सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना :-

पंचायत ने माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट स्थापित कर बिजली पैदा की और 25 घरों को इस माध्यम द्वार बिजली मुहैया कराई। यह मौजूदा कानून के खिलाफ था। लेकिन एक पंचायत ने ऐसा कर दिया था इसलिए, यह सरकार का कर्तव्य बन गया कि वह इसे मंजूरी दे क्योंकि यह लोगों की परियोजना थी। सरकार ने बाद में पंचायतों के पक्ष में अधिनियम में संशोधन कर उन्हें शर्तों के साथ बिजली पैदा करने की अनुमति दी। इस घटना से पता चलता है कि पंचायतें, स्थानीय सरकारों के रूप में, किसी भी विकासात्मक गतिविधियों पर सुचारू ढंग से कार्य कर सकती हैं। केरल सरकार ने 1997 में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के लिए पंचायत को स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित भी किया।

डॉ. वालन ने केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (2002-2007 और 2011-2017) के निदेशक के रूप में भी काम किया। इस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम - ग्राम सभा सदस्यों से शुरू होकर सांसदों और विधायकों के स्तर तक आयोजित किए गए। पंचायती राज पर राजनीतिक दल के नेताओं को दिया गया प्रशिक्षण उल्लेखनीय है। विभिन्न राजनीतिक दल के नेता कंधे से कंधा मिलाकर स्थानीय विकास पर चर्चा करना एक दुर्लभ दृश्य है। संदेश स्पष्ट है कि पंचायती राज के पूरे स्पेक्ट्रम में किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। KILA ने विकेंद्रीकरण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम भी शुरू किए जहां दक्षिण और पूर्वी एशिया और अफ्रीकी देशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया।

राज्यों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को पंचायती राज पर दिशा निर्देश दिया गया क्योंकि वे पंचायत चुनावों के लिए मतदान की उम्र प्राप्त करने वाले थे। 2 महीने की छोटी अवधि के भीतर लगभग 34,00,000 ग्राम सभा सदस्यों को जागरूक किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स कार्यक्रम आयोजित करना एक महत्वपूर्ण पहल थी। यह पहल सर्व समावेशी थी। अतः इसमें कोई पीछे नहीं रहा। डॉ. वालन ने नेपाल और श्रीलंका सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। श्रीलंका के पूर्वी प्रांत प्रदेशिया सभा ने भारत में पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजना के समान मॉडल अपने यहां भी तैयार किया है।

उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, पुरस्कार निर्णायक समिति एक आम सहमति पर पहुंची कि 2020 वर्ष का गांधी शांति पुरस्कार स्थानीय स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक रिसर्च टीम का गठन किया और समिति ने अपनी 6 महीने की जांच और मूल्यांकन के बाद सर्वसम्मति से उस व्यक्ति को उपयुक्त पाया,

पंचायती राज मंत्रालय में सम्मान:

पंचायती राज मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2022 को डॉ. पी. पी. वालन को 'शांति और सुलह के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया। आयोजन में श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉ. वालन को भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और इस तरह समुदाय के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान की मान्यता में इस पुरस्कार से सम्मानित होने पर अपनी शुभकामनाएं प्रदान कीं।

••••

ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 5 से 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री, श्री सुनील कुमार सचिव पंचायती राज मंत्रालय, डॉ. एस. एम. विजयानंद पूर्व सचिव एमओपीआर, डॉ. बाला प्रसाद पूर्व विशेष सचिवMoPR और श्री आलोक प्रेम नागर संयुक्त सचिव पंचायत राज मंत्रालय की उपस्थिति में किया गया।

जिले भर से जिला पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के विभागों और नाबार्ड, आईआरएमए, यूनिसेफ आदि जैसे विभिन्न संगठनों/संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इस दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन एक उपयुक्त समय पर किया जा रहा है। नए साल की शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए योजना प्रक्रिया शुरू करें सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास की भावना से सभी को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कर राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना योगदान देना हम सबका सामूहिक संकल्प होना चाहिए।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 5 से 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री, श्री सुनील कुमार सचिव पंचायती राज मंत्रालय, डॉ. एस. एम. विजयानंद पूर्व सचिव एमओपीआर, डॉ. बाला प्रसाद पूर्व विशेष सचिवMoPR और श्री आलोक प्रेम नागर संयुक्त सचिव पंचायत राज मंत्रालय की उपस्थिति में किया गया।

जिले भर से जिला पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के विभागों और नाबार्ड, आईआरएमए, यूनिसेफ आदि जैसे विभिन्न संगठनों/संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इस दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन एक उपयुक्त समय पर किया जा रहा है। नए साल की शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए योजना प्रक्रिया शुरू करें सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास की भावना से सभी को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कर राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना योगदान देना हम सबका सामूहिक संकल्प होना चाहिए।

****

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लखनऊ में दो दिवसीय 'ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने' विषय पर स्मार्ट विलेज पंचायत सम्मेलन का आयोजन

पंचायती राज संस्थाओं ने तकनीकी प्रगति में एक लम्बा सफर तय किया है जिससे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही बढ़ी है: श्री गिरिराज सिंह

प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार के तीसरे स्तर यानी पंचायतों में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' लीविंग नो वन बिहाइंड' की दृष्टि का समर्थन करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने 'ग्रामीणों को सशक्त बनाने' पर दो दिवसीय स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन का आयोजन 15-16 सितंबर 2022 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया।

राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज राज सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने किया।

अपने संबोधन में श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं ने तकनीकी प्रगति में एक लम्बा सफर तय किया है। स्मार्ट विलेज की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा इसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही का स्तर बढ़ेगा।

उन्होंने मौजूदा तकनीकों की स्वीकार्यता और कार्यान्वयन में केंद्र और राज्य सरकारों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका पर जोर दिया।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज संस्थाओं के योगदान पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षा को आगे बढ़ा रहा है। श्री योगी आदित्यनाथ ने आगे उल्लेख किया कि स्मार्ट ग्राम निर्माण सीधे आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे, जिम्मेदार नागरिकों और व्यवहार परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी नागरिक केंद्रित सेवाओं के प्रावधान के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता पर भी जोर दिया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आईसीटी, इंटरनेट, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का लाभ उठाकर जमीनी स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के दीर्घजीवी कल्याण के बारे में बात की। उन्होंने मांग-आपूर्ति प्रबंधन जैसी चुनौतियों पर जोर दिया, जिनका सामना पंचायतों को डिजिटल बुनियादी ढांचे, बढ़ती आबादी और तेजी से बढ़ते अनावश्यक शहरीकरण के साथ करना होगा।

इस अवसर पर 'लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एलएसडीजी), लॉन्च ऑफ ई-लर्निंग मॉड्यूल पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

Ministry of Panchayati Raj
Government of India

सशक्त पंचायत सतत् विकास

Ministry of Panchayati Raj

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj

www.youtube.com/channel/UCEVBqGKlpAuDqZsirwto8nA

www.twitter.com/mopr_goi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

www.panchayat.gov.in/

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित

मुख्य संपादक: श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, टावर-2, नौवां तल,

जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्रकाशि